बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९६३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९६३ को पूर्वाह्न १० बजे अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ।

विधान कार्य: सरकारी विधेयक:

LEGISLATIVE BUSINESS :OFFICIAL BILL.

बिहार ऐप्रोप्रिएशन बिल, १९६३ (१९६३ को वि० सं० २)

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1963 (L. A. BILL NO. 2 of 1963).

श्री वृज मोहन सिंह (औरंगाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने १९६३ के विनियोग बिल पर विचार करने के लिये निवेदन किया है। मैं इसका विरोध करता हूँ और इसलिये विरोध करता हूँ कि उन्होंने बिहार के संचित निधि से एक अरब, उनासी करोड़ रुपये खर्च करने के लिये अनुमति मांगी है, तो मैं अनुमति क्यों दूँ। यह सरकार ऐसी सरकार है जिसके पदाधिकारीगण और इसके कर्मचारीगण ऐसे हैं जो इस रुपये को, जो जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई है, ठीक से खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार एफिसीयेन्ट है तो देने में एतराज नहीं है। आज अपने राज्य की क्या स्थिति है इसकी चर्चा सदन में माननीय सदस्यों ने खूब की है। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज इस भ्रष्ट शासन-प्रणाली में अगर हम एक भी नया पैसा देते हैं तो उसका सदुपयोग नहीं हो सकता है। इस सरकार की यह रवैया है कि साल के साढ़े ग्यारह महीने तक यह बैठी रहती है और जब पन्द्रह दिन रह जाता है तो सभी बिल ट्रेजरी में पेश किया जाता है और रुपया पानी की तरह निकाला जाता है। इनके आफिसरगण साल के साढ़े ग्यारह महीना तक बैठे रहते हैं और आराम करते रहते हैं और सरकार के तरफ से सर्कुलर जाता है कि फाइनेंसीयल इयर क्लोज हो रहा है इसलिये सब बिल ट्रेजरी में, जब दो-एक दिन रह जाता है पहुँच जाते हैं। यहां तक कि ३१ मार्च तक जो बिल कैश हो जाता है वह होता है और उस

सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार है कि केन्द्रीय बजट के प्रकाशित होते कहीं-कहीं कुछ व्यापारियों ने जायज से अधिक मूल्य बढ़ाने की कोशिश की होगी, उपर्युक्त कार्रवाइयों के फलस्वरूप अब ऐसी अवस्था नहीं है। फिर भी यह सम्भव है कि कहीं-कहीं एक आध व्यापारी कुछ अवैध कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्यों को इसकी कोई खास सूचना हो और व्यापारियों के निश्चित नाम आदि का पता सरकार को दें तो सरकार उनका आभारी होगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की कोशिश करेगी।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक

LEGISLETIVE BUSINES : OFFICIAL BILL

बिहार ऐप्रोप्रियेशन बिल, १९६३ (१९६३ की वि० सं० २)।

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1963 [L. A. BILL NO. 2 OF 1963].

*श्री कमलनाथ झा—अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल का मैं समर्थन करता हूँ। बिल के पक्ष और विपक्ष में जो चर्चा इस सदन में चल रही है उसमें हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां व्यक्त किये हैं उससे हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सम्यक् आलोचना या संतुलित आलोचना सरकारी नीति की यहां नहीं की है। जिन लोगों ने अपना विचार यहां व्यक्त किया है उसमें सरकार के प्रति बहुत-सी ऐसी बेबुनियाद बातें कही गयी हैं जिनका कोई ठोस आधार या ठोस प्रमाण उन माननीय सदस्यों ने सदन के सम्मुख उपस्थित नहीं किया है। बहुत-से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार की सरकार दिवालिया हो गयी है और कुछ ऐसी बातें हवा में उड़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाना चाहते हैं। पता नहीं वे किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ऐसा कर रहे हैं या वस्तुस्थिति का उन्हें पता नहीं। फिर भी इस तरह वे लोग सरकार के माथे पर नाजायज कलंक लगाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को बिहार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है और जो लोग बिहार राज्य की आर्थिक अवस्था का ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि बिहार गरीब सूबा है। आजादी के बाद बिहार राज्य ने राज्य के नव-निर्माण की योजना बनायी और उसी योजना पर सरकार ने अमल करना शुरू किया। एक तरफ हमारे सामने डेवलपिंग एकोनॉमी का उद्देश्य था और इसी से हम अपने राज्य का नवनिर्माण करना चाहते थे और इसके लिये हमें साधन का मुहैय्या करना पड़ा दूसरी तरफ ज्यों ही आजादी मिली तब से लेकर आजतक अगर हम बिहार राज्य की अवस्था का दिग्दर्शन करें तो पता लगेगा कि हर बाढ़ और सूखे के आक्रमण का प्रकोप यहां होता गया। एक तरफ अपने राज्य के नव-निर्माण के लिये साधन का मुहैय्या करना और दूसरी तरफ इस दैवी प्रकोप, इस प्राकृतिक प्रकोप से, राज्य के जनता की सुरक्षा करना इस सिलसिले में अबतक लगभग ४७-५० करोड़ रुपया सरकार को खर्च करने पड़े हैं। अगर इन रुपयों को सरकार बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये जनता पर खर्च नहीं करती तो भी माननीय सदस्य इस सदन में और बाहर इतनी मांग करते कि सरकार की नींद हराम कर देते। अगर सदन के प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो पता चलेगा कि विरोधी पक्ष के और इस पक्ष के सदस्यों ने एक स्वर से एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार मांग

की कि बाढ़ और सूखे के चलते जनता पर जो विपत्ति और आपत्ति आई है उसमें जनता की मदद की जाय और यह मांग जायज भी थी। मानव मूल्य सर्वोपरि है। भविष्य के निर्माण की योजना बनाकर वर्त्तमान मानव को मुश्किल में छोड़ दिया जाय यह जनतांत्रिक पद्धति के लिये उचित नहीं है और किसी भी पद्धति के लिये उचित नहीं समझी जायेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार एक कन्धे पर राज्य के नवनिर्माण का बोझ और दूसरी तरफ दैवी प्रकोप से संघर्ष करने का दुहरा बोझ लेकर १४ वर्षों से बिहार में खड़ी है और आजतक यह सरकार दिवालिया नहीं हुई है और न आगे भी होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप बजट को देखें और भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहें। आज १४ साल के अन्दर में इस सदन में जिस किसी भी प्रकार से हो सदन के समक्ष सरप्लस बजट रखा गया है।

लेकिन यह सत्य है कि हमारे सामने डेफिसिट बजट नहीं बल्कि सरप्लस बजट हैं। इसका मतलब है कि आगामी वर्ष में बिहार सरकार की जो आमदनी है और जो खर्च है दोनों बैलेंस्ड है। हमें एक पैसा भी टैक्स नहीं लगाना होगा, एक पैसा के लिये भी झोली नहीं फैलाना होगा। आमदनी और खर्च बराबर है। इतना कह कर हम नहीं रुकते हैं। अगर इतना ही पर रुकें तो यह स्टैटिक बजट हो जायगा। हमारे वित्त मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि हमारा जो रुपया बकाया है उसका अभियान चल रहा है और हमारे कोष में अनुमान है कि १० करोड़ या २० करोड़ रुपया जमा होगा और इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि हम माईन्स के लीज के संबंध में परिवर्त्तन लाकर अपनी आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं। कॉमर्शियल टैक्स के मार्फत हम आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं, इन्टरटेनमेंट टैक्स के मार्फत आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं। इस तरह ५, ७ करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। इस तरह २०, २५ करोड़ रुपया बिहार सरकार के कोष में जमा होगा। इस पर यह कहना कि ओभरड्राफ्ट की वजह से सरकार दिवालिया है मैं समझता हूं कि उनकी बोली का दिवालापन है। इस तरह की बेबुनियाद बात जिसका कोई ठोस आधार नहीं, राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर करना सरकार और जनता के बीच खाई पैदा करना है। जिस समय सरकार में जनता का कंफिडेंस होना चाहिए उस वक्त विरोधी दल के लोग जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं और उस पर भी और यह कहना कि सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं मैं नहीं समझता कि इसमें कौन-सी बात गलत है और कौन-सी सही है। इस तरह की चर्चा बराबर होती है इसलिये मैंने समझा कि आंकड़ों के और तथ्यों के आधार पर जवाब देना मेरा फ़र्ज है।

यह बात सही है कि हमलोगों का देश जब से आजाद हुआ है हमलोग एक नयी परिपाटी, एक नया सिलसिला, एक नई राजनैतिक स्थिति को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी कहते हैं। इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि एशिया या अफ्रिका के किसी भी मुल्क में जनतांत्रिक माध्यम से शासन का कार्य नहीं चल रहा है, वहां मिलिट्री या तानाशाही का शासन चल रहा है। यह हिन्दुस्तान में सबसे पहली बार जनतांत्रिक पद्धति का उपयोग हो रहा है, पहले हमको इसका अनुभव नहीं था। यह नवीन व्यवस्था हुई और इसका सर्वप्रथम प्रयोग हम कर रहे हैं। उसमें गलती हो सकती है। लर्नींग थ्रू मिस्टेक्स के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संसदीय परम्परा में जो त्रुटियां हैं, प्रशासन में जो त्रुटियां हैं उसके प्रति सरकार और विरोधी पक्ष के लोग

जागरूक हैं। इस संसदीय परम्परा पर हमारी अपनी शक्ति आधारित है। इस सदन के माध्यम से हमलोग जिस ढंग से बिहार राज्य में जनतांत्रिक पद्धति को मजबूत कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा केवल देश में ही नहीं वल्कि विदेशों में भी हो रही है। पहले प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब होता था लेकिन हम देखते हैं कि क्वानटिटी में भी परिवर्त्तन हुआ है, संतोषजनक तो नहीं परन्तु ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आज ही माननीय मंत्री किरासन तेल के वारे में उत्तर दे रहे थे। मुझे दुःख हुआ। जितना जनतंत्र की सफलता के लिए जितना क्वानटिटी जरूरी है उतना ही यह भी जरूरी है कि प्रश्नों का सही जवाव आवे। प्रश्न का जवाव आए और सही जवाब आए इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का सही जवाब नहीं आता है तो गलत जवाव देने के लिए कौन अफसर जिम्मेवार हैं, इसकी रेसपौंसिबिलिटी किस पर फिक्स की जाय और उस अफसर को, उस कर्मचारी को, सजा दी जाय क्योंकि सरकार जिम्मेवार है सदन के प्रति और सदन जिम्मेवार है बिहार की जनता के प्रति। अगर सरकार अपनी ज़िम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभायगी तभी माना जायगा कि सरकार अपनी निष्ठा से जनता के प्रति जो जिम्मेवारी है उसे निभाती है। मुझे खवर मिली है, यह कहां तक सही है, नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि लोक निर्माण मंत्री ने अपने मुलाजिमों को गलत जवाब देने के लिए ससपेन्ड किया है। अगर यह वात सही है तो मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरे मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे लोग भी उस उदाहरण का अनुकरण करें और हर विभाग के मंत्री अपने संबंधित विभागों के अफसर या कर्मचारियों को गलत उत्तर देने के लिए, हायस्ट फौर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रौंग स्टेटमेंट देने के लिए ससपेन्ड करें तो मैं समझता हूं कि एक साथ के परिश्रम से प्रशासन का टोन ऐंड टेम्पो दोनों वदल जायगा।

मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार सदन के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व निभाये उसी तरह से हमलोगों का भी कर्त्तव्य है कि हमलोगों की ओर से भी सदन में सही ढंग से चर्चा हो, चर्चा का स्तर उपयुक्त हो, विषय उपयुक्त हो इस पर ध्यान रखें क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ ट्रेजरी बेंच की ही जिम्मेवारी नहीं है, रेसपौंसिबिलिटी दोनों तरफ की बराबर है। अगर विरोधी पक्ष खत्म हो जाय तो जनतंत्र का खात्मा हो जाय, विरोधी पक्ष कमजोर हो जायगा तो जनतंत्र भी कमजोर हो जायगा और सरकार तानाशाही हो जायगी और गैर-जिम्मेवार हो जायगी और डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी इसलिए जहां तक राइट्स का सवाल है जिम्मेवारी सरकार पर और विरोधी पक्ष दोनों के लिए बराबर है। अगर विरोधी पक्ष के सदस्य सदन में चर्चा करके ही अपने कर्त्तव्य का अन्त समझते हैं तो यह उचित नहीं।

इसके बाद मैं विधान-सभा के वर्किंग के संबंध में दो-एक सुझाव रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रशासन में सबसे बड़ा एक्सीक्युटिव है कैबिनेट। मैंने गत सत्र में भी बजट के सिलसिले में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि जो बिहार के कैबिनेट का कम्पोजीशन है, जिस तरह बिहार के कैबिनेट में पोर्टफौलियो का डिस्ट्रीब्युशन है वह अनसाइन्टिफिक है और उस वक्त इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि अप्पू कमिटी बैठी है रिओर्गेनाइजेशन के लिए, हमलोग भी सोच रहे हैं पोर्टफौलियो के डिस्ट्रीब्युशन के लिए, जो एलौटमेंट हुआ है वह टेम्पोररी एलौटमेंट हुआ है लेकिन यह एलौटमेंट एक साल से चल रहा है इसलिए परमानेंट बेसिस पर पोर्टफौलियो का रिओर्गेनाइजेशन ऐंड रिओरिएन्टेशन होना चाहिए रिअल टू

दी वर्किंग ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट की बैठक सात दिनों पर होती है हमारे समक्ष में नहीं आता कि अंग्रेजों के जमाने में जैसे सात दिनों में कैबिनेट की बैठक होती थी उसे अनिवार्य कर दिया गया है जैसे एतवार को सात दिनों पर छुट्टी होती है, इसे मैं नहीं मानता।

अध्यक्ष—यह सुविधा के लिए है।

श्री कमल नाथ झा—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि १५ दिन एक रिजनेबुल

टाइम है जिसके बाद कैबिनेट की बैठक हो। महीने में २ बार इसकी बैठक हो। इस बैठक में यह देखा जाय कि किस मिनिस्टर ने १५ दिन के भीतर कितना फाइल डिसपोज ऑफ किया है और कितना पेंडिंग है। कितना फाइल कैरी ओवर किया गया। जब सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एक किरानी के लिये मापदंड है तब मिनिस्टर जो एक्जीक्युटिव का सबसे बड़ा हेड है उसके लिये भी एक मापदंड होना चाहिए।

श्री रामलखन सिंह यादव—और उसी के अनुसार वेतन भी मिलना चाहिए कि

जितना काम किया जाय उसी के मुताबिक पैसा दिया जाय।

श्री कमल नाथ झा—जी नहीं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि जैसा बरौनी में कुछ

बंधुओं ने नारा लगाया था कि—

"रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम।" वैसा यहां भी किया जाय। वैसा करने से उनको फाइल देखने और फील्ड में भी काम करने का मौका मिल जायगा। अब मैं भ्रष्टाचार की चर्चा करना चाहता हूं। इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही गयी हैं। बारबार इस सदन में चर्चा की जाती है कि हाईकोर्ट के एक जज को रखकर एक कमीशन बहाल कर लिया जाय और उसी समय यह बीमारी रफू हो जायगी। मैं कहता हूं कि १०० कमीशन बहाल करने से भी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। ४० साल के बाद भी रूस में ४,००० लोगों को गोली मारने की आवश्यकता होती है। आप अमेरिका या इंगलैंड के इतिहास को देखें। जिस प्रकार भादो में नदी का पानी गंदा रहता हैं और कार्त्तिक आते-आते उसका पानी आप ही फिल्टर हो जाता है उसी प्रकार जब एग्रेरियन इकौनमी इंडस्ट्रीयल इकौनमी में ट्रान्सफौर्म होती है तो ट्रांजिशनल पिरियड में बुराइयों का आना स्वाभाविक है। इन बातों को दूर करने के लिये मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं :—

(१) डिसपैरिटी ऑफ इनकम इतना नहीं रहना चाहिये। एक तरफ सेठ हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। इस बड़ी खाई को धीरे-धीरे खतम करना होगा।

(२) सरकार के विभागों में प्रोमोशन, अप्वायन्टमेंट और ट्रांसफर में रूल्स फिक्स करना होगा। किसी भी हालत में उससे टस-से-मस नहीं होना चाहिए।

(३) जो आदमी दोषी पाये जायं उनकी तरफ से सबसे बड़ा दोष यह है कि हर गलत काम के लिये हम ही लोग पैरवीकार हो जाते हैं। यदि गलत काम करने वाले को पैरवीकार न मिले तो भ्रष्टाचार बहुत अंश में तुरत रूक जायगा। हमही लोग उसकी मदद करके भष्मासुर बनाते हैं और वही फिर हमारे माथे पर आ जाता है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, हम सभी इसके दोषी हैं।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने लाल बत्ती जलायी।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी लाल बत्ती देख रहा हूं। अब मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रूस में घूस लेने वालों को गोली मार दी जाती है, उसी तरह से यहां कम-से-कम घूस लेने वालों को जेल भेज दिया जाय। तभी जनता को राहत मिल सकती है। इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने जो विनियोग

बिल लाया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो कुछ कहा है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। बिहार प्रदेश की या जो इस देश की समस्या है, उससे निपटने के संबंध में अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और खासकर शिक्षा विभाग से कहना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय डॉ० श्रीकृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल यहां काम कर रहा था और तत्कालीन शिक्षा उप-मंत्री श्री कृष्णकान्त सिंह ने जब हाई स्कूल के लिये नया ऐक्ट पेश किया था जो अभी चालू है, उसके संबंध में उस वक्त श्री हरिनाथ मिश्र और वर्त्तमान एजुकेशन संसदीय सचिव श्री बैद्यनाथ मेहता ने विरोध किया था लेकिन आज के मंत्रिमंडल में जब दोनों उपर्युक्त व्यक्ति मौजूद हैं तो फिर आज उसी ऐक्ट के अनुसार हाई स्कूल मैनेजिंग कमिटी क्यों बनी हुई है? इसका साफ मतलब यह है कि सरकार हाई स्कूलों में अपना १०, १२ हजार फौज रखना चाहती है। हमारे बिहार राज्य में करीब १,७०० हाई स्कूल हैं जिसमें हर स्कूल में इनके ३, ४ मनोनीत सदस्य मैनेजिंग कमिटी में रहेंगे। ये अपने लोगों को वहां भरना चाहते हैं। इसी तरह से कॉलेज की जो गवर्निंग बडी है उसमें भी इनके ३, ४ मनोनीत सदस्य रहते हैं। प्लैनिंग कमिटी जो बनी है, उसमें भी इनके सदस्य रहते हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमिटी में हम देखते हैं कि इनके ४, ४ सदस्य हैं। बेगुसराय से इसमें कोई भी सदस्य नहीं लिये गये हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग में ये १०, १२ हजार फौज तैयार कर रहे हैं। इस तरह से प्रजातंत्र पर आघात पहुंच सकता है।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान उस सिद्धान्त की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने कहा था कि वह ६ वर्ष से १४ वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देगी। लेकिन समय बीतता जा रहा है और इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ओर हम देखते हैं कि जहां १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है वहां दूसरी ओर कॉलेज पर कॉलेज फिर भी खुलते चले जा रहे हैं यह भी खुशी की बात है पर दुख है तो केवल इस बात का कि वैसे लड़के जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके संबंध में सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में खनिज का अम्बार है, इससे उद्योग का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है लेकिन इसके लिये अपने यहां टेकनिकल और इंजीनियरिंग स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, इसका बहुत कमी है। यदि प्रवेशिका परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिक-से-अधिक टेकनिकल स्कूल में प्रवेश कराते तो अच्छा होता। सरकार के सामने मैं केरल का एक उदाहरण रखना चाहता हूं। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी इसी प्रकार शिक्षा में हस्तक्षेप किया जिसके कारण उस कम्युनिस्ट सरकार का पतन हुआ। अतः मैं इस सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं, अगर वह सावधान नहीं हुई तो इस सरकार का भी पतन अवश्यम्भावी होगा।

शिक्षा के सिलसिले में मैं सरकार का ध्यान मुंगेर जिले और खासकर मुंगेर नगर की ओर ले जाना चाहता हूं। सरकार जब भागलपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही थी तो यह आवश्यक था कि मुंगेर ऐसे जिले में जहां कि वर्क शौप है, सिगरेट का कारखाना है, बन्दूक के कारखाने हैं और निकट भविष्य में साइकिल का भी कारखाना खुलने जा रहा है और उसके लिए कुशल कारीगर, इंजीनियर की परम आवश्यकता है, अतः वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का इन्तजाम करती। अभी भी सरकार से आग्रह है कि मुंगेर शहर में उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही हमारे मंत्रिमंडल और सरकार के जितने सदस्य हैं उनके हृदय में बिहार के निर्माता कुशल शासक स्वर्गीय डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के प्रति बड़े ही श्रद्धा का स्थान है उनकी पुण्यस्मृति में इंजीनियरिंग कॉलेज अवश्य खोलें। आप सभी लोग उनके अन्यतम सहयोगी रहे हैं और सभी के हृदय में उनकी पुण्य स्मृति कुछ-न-कुछ कहीं-न-कहीं निर्माण करने की लालसा अवश्य है। उनके लिये अगर इंजीनियरिंग कॉलेज न हो सके तो कम-से-कम वहां मेडिकल कॉलेज ही खोल दिया जाय जिसकी इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल मिनिस्टर के प्रतिवेदन के अवसर पर की थी। मेरा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से आग्रह है कि स्वर्गीय डा० श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर मुंगेर में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाय। यह पुण्य स्मृति सभी के लिए अनुकरणीय रहेगी। मैंने बारबार सरकार से आग्रह किया है कि मुंगेर नगर में पूज्य डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के स्मृति स्वरूप श्रीकृष्ण सेवा सदन बहुत ही अच्छी पुस्तकालय है, जिसका शानदार अपना भवन है, जिसमें साठ हजार से ऊपर पुस्तकें हैं और राजनीति विज्ञान, हिन्दी और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों की संख्या बहुत ही अच्छी है और वे पुस्तकें पोस्ट-ग्रैजुएट क्लासेज में पढ़ाने लायक हैं और वहां के श्रीकृष्ण सेवा सदन की प्रबंधकारिणी समिति ने भी सरकार से अनुरोध किया है कि वह श्रीकृष्ण सेवा सदन में इन तीन पोस्ट ग्रैजुएट क्लासों को चलाने के लिये अपने यहां स्थान देने के लिए तैयार हैं। अतः वहां सरकार इस पुस्तकालय की उपयोगिता के लिए उपरोक्त तीन विषयों का पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज चलायें।

अब मैं सरकार का ध्यान चीनी आक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के भाषण से लेकर आज तक प्रश्नोत्तर काल तक सरकार यह कहती रही है कि देश के हर पैसे को बचा कर देश के सुरक्षा काय में लगाया जाय। साथ ही इसके लिये अन्य तरह से भी पूंजी एवं सामान जुटाये जांय और प्रदेश को चीनी आक्रमण के प्रति पूर्ण रूप से तैयार किया जाय। इन उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर विचार करता हूं तो लगता है कि बिहार प्रदेश ने इस ओर कुछ भी प्रगति नहीं की है। जब कि साम्यवाद की मदिरा पिये उन्मत्त चीन को रोकने के लिये बिहार के आबालवृद्ध अपना सर्वस्व अर्पण के लिये तैयार हो गए वहां पर हमारे मंत्रिमंडल ने उनलोगों के आगे कोई भी उपयुक्त आदर्श प्रगट नहीं किया। मंत्रिमंडल को चाहिए था कि वे लोग अपना वेतन ५०० रु० मासिक कर देते, मंत्रिमंडल को छोटा करते जिससे कि जनता में और भी त्याग की भावना उमड़ पड़ती। वह जनता जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, भोजन के लिए अन्न नहीं है, सुरक्षा के लिये अपने शरीर का एक-एक कतरा खून देने के लिए तैयार हो गई और अपने प्यारे बच्चों को हजारों की संख्या में युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार हुई और इस आह्वान पर लाखों-लाख नवयुवक सेना में भर्ती होने के लिए टूट पड़े। लेकिन सरकार ने उसके मनोबल को कायम रखने के लिए जिस कदम को उठाया है उसे देखकर बड़ी ही तकलीफ होती है कि सुरक्षा के कामों का भार ऐसे लोगों के हाथों में सुपुर्द किया गया है

जिनको जनता ने त्याग दिया है, तिरस्कृत किया है और चुनाव के युद्ध में पराजित किया है। ऐसे लोग उदाहरणस्वरूप श्री केदार पांडे जी एवं धनसंग्रह के कार्य में लगे श्री चन्द्रशेखर सिंह जनता में वह वातावरण नहीं पैदा कर सकते जिससे कि जनता उन्मुक्त-हस्त से चीनी आक्रमण के विरोध में खड़ी हों और धनसंग्रह में विश्वासपूर्वक सहयोग दें। दूसरी ओर सरकार ने जनता की गाढी कमाई के हजारों रुपए उन वकील को दिया जो बिहार के केस को रिप्रेजेन्ट करने के लिए जिन्दगीभर ब्रीफलेस रहा। श्री मेनन को महामान्य प्रधान मंत्री ने मित्रवत् मानते हुए भी संपूर्ण भारतवर्ष की जनता की मांग पर सुरक्षा भार से मुक्त कर दिया। वैसे आदमी को हमारी बिहार सरकार ने अपना केस दिया जिसको दिल्ली और पटना के किसी भी अच्छे विधिज्ञ एडवोकेट ने असिस्ट करना अपना अपमान समझा। ऐसे वकील जिनका ब्रीफ और बहस दूसरा आदमी तैयार करके दे तो फिर उन्हें केस देने और उनपर पैसा खर्च करने की बात कैसे उठी? इतना ही नहीं जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये का दुरुपयोग कर सरकार दूसरे कार्यों को रोक रही है इमरजेंसी के नाम पर। ऐसे समय में देश में द्रोह फैलानेवाला, कम्युनिस्टों का सफरमैना लिक पत्रिका जो अभी नई ही है, जिसका प्रचार और प्रसार बिहार में नहीं के बराबर है, वैसी पत्रिका को हजारों-हजार रुपए का पब्लिसिटी देना कहां का न्याय है? सरकार जब बदलती है तो उसके साथ-साथ दूसरे देशों मे प्रशासन का यंत्र भी बदलता है लेकिन हमें यह अंगरेजों के द्वारा गुलामी के युग का और आजादी का विरोधी प्रशासन यंत्र मिला हुआ है। देश जहां भी जाये लेकिन उन्होंने अपना सिद्धान्त बना लिया है कि इन्हें नौकरी करनी है और इनकी दास्य मनोवृत्ति यहां तक बढ़ी हुई है कि हमारी सरकार जो बहुत पहले से राष्ट्र भाषा हिंदी का, चूंकि यह हिन्दी-भाषी क्षेत्र है, अग्रसर होकर सभी कार्यों में उपयोग करना चाहती थी उसके लिये आगे भी बढ़ी उसके प्रयास को इन्होंने असफल कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन में हिन्दी एक अनिवार्य विषय बनाया गया और नीचे के श्रेणियों से अंगरेजी को हटाना प्रारंभ किया गया लेकिन यह नौकरशाही हावी हो गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन से एक जो निश्चित हिन्दी का पत्र था उठा दिया गया और चौथी पांचवीं श्रेणी से पुनः अंगरेजी को लाद दिया गया।

एक ओर प्रदेश की जनता करों की मार से असहनीय पीड़ा उठा रही है, आज गरीबों के उपयोग में आनेवाली सभी चीजों पर टैक्सों का भरमार हो गया है, उदाहरण स्वरूप हम सेल्स टैक्स को ले लें तो पता लगेगा कि भोजन के सामग्री से लेकर उनके बच्चों के कागज कलम दावात तथा रुग्न पत्नी एवं बच्चों की दवा पर तथा उनके व्यवहार में रोज आने वाली माचिस और चाय पर भी सेल्स टैक्स लगाया गया है जिससे जनता कराह रही है।

मैं राजस्व विभाग का ऋण वसूली का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है उस ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आज सरकार सभी दिन का बकाया एक ही बार वसूल करने जा रही है और इनका जो वसूल करने वाला यंत्र है उसके अंग बी०डी०ओ०, अंचलाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी लोगों को इस प्रकार तंग कर रही हैं कि वे लोग भूल जाते हैं कि हमलोग पन्द्रह सोलह वर्ष की आजादी के समय का उपयोग कर चुके हैं। जिनलोगों ने कर्ज वसूल कर दिया, रसीद भी उनके पास मौजूद है फिर भी उनके सामान को कुर्क किया जाता है और जब रसीद दिखा कर रोका जाता है तो ये लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर अदलहुक्मी चलाया जायगा।

*श्रीमती यशोदा देवी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण बातें सरकार के समक्ष रख रही हूं। वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम मुझे सरकार से ज़ोरदार अपील करनी है कि वह अपनी कर्ज की वसूली की वर्त्तमान नीति को शीघ्र बदले, नहीं तो आने वाले समय में कृषि कार्य धीमी पड़ जायगी। बात यह है कि सरकार १९५०-५१ से १९६०-६१ तक यानी दस वर्ष तक लोगों को कर्ज देकर कृषि कार्य में सहायता करती रही है। लेकिन इस वर्ष सरकार चाहती है कि कर्ज के सभी रुपए जिस किसी भी हालत में हो एक ही बार वसूल हो जाय तो मैं समझती हूं कि यह नीति अच्छी नहीं है, बल्कि कृषक के हित में खतरनाक नीति है। सहरसा जिले में, खासकर सौर बाजार, सोनवरसा और किशुनगंज अंचलों में काफी कड़ाई तथा जुल्म के साथ ऋण की वसूली हो रही है। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तथा बैल भी खोला जाता है जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि भागलपुर प्रमंडल में सब से अधिक सहरसा में ही मालगुजारी तथा ऋण वसूली हुई है। इतना होने पर भी सहरसा जिले के लोगों को इतना तंग किया जाता है, बैल तथा घर का अनाज एवं जमीन को बेचकर ऋण की चुकती करनी पड़ रही है। इस तरह कृषि का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है। अतः सरकार से मेरा अर्ज है कि वे शीघ्र ही इस पर ध्यान देकर अपनी नीति में परिवर्त्तन करे नहीं तो बेचारे किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि सरकार सहरसा जिले के सड़कों पर विशेष ध्यान दे क्योंकि वह कोशी नदी से जर्जरित जिला है। वहां बिहारीगंज व्यापार के ख्याल से एक बड़ा केन्द्र है। यहां की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, खासकर वर्षा ऋतु में आवा-गमन की दिक्कत से व्यापार के कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

तीसरी बात यह है कि बीहपुर-बीरपुर सड़क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है उसको शीघ्र पूरा किया जाय। जहां तक सड़क बन चुकी है वहां तक शीघ्र पुल बन जाना चाहिए ताकि आवागमन में सुविधा हो।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सहरसा जिले के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का व्यापार काफी गर्म है। वहां के डी०ई०ओ० तथा जिला शिक्षा अधीक्षक बदली एवं बहाली आदि में खुलकर घूस लेते हैं। जिसके लिये वे कुछ खास-खास आदमियों को दलाल के रूप में रखे हुए हैं। यह मैं पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही सरकार के सामने रख रही हूं। मैं सरकार से अर्ज करती हूं कि शीघ्र ही सहरसा जिले के उन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करे। बस, इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*श्री मुन्द्रिका सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल का विरोध करता हूं। सरकार की इधर नीति हो गयी है कि संकटकाल के नाम पर अपनी सारी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करे और सिवाय जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सभी मदों में काफी मात्रा में कटौती की गयी है और सारे कटौती के कारण यह बताये जाते हैं कि इस वर्ष संकटकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन जब मैं बजट को देखता हूं तो किसी-किसी विभाग में किसी-किसी वजह से और कुछ अप्रत्याशित खर्च करने का प्रोग्राम है। इसका कारण है कि हमलोगों को विभिन्न मदों में कटौती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार की माली हालत खराब हो गई है और शुरू में ही ५१ करोड़ का डेफिसिट बजट में दिखलाया गया है। हमारे राज्य का जो सुरक्षित कोष है वह भी समाप्त हो चुका है और यही कारण

है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो रुपया ड्राँ होता है उसने समय-समय पर सरकार को चेतावनी दी है और रुपया देने से इन्कार कर दिया है। उसके फलस्वरूप फाइनेंस सेक्रेटरी ने राय दी है कि जिनका रुपया सरकार के यहां पावना है वे रिसीट लिख दें टिकट लगाकर कि रुपए का भुगतान हो गया और वह रुपया बैंक में चला जायगा ताकि स्टेट बैंक को यह अंदाज हो जाय कि रुपया आ रहा है और इनका पेमेन्ट अप्रील में होगा। इसका कारण यह है कि सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो गई है। इसलिये चाहते हैं कि इस तरह से रुपए यदि ट्रेजरी में जायं या स्टेट बैंक में जाय तो वे समझेंगे कि सरकार की माली हालत अच्छी हो गयी है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है कि एक राज्य का फाइनेंस सेक्रेटरी एडवाइस करता है बनियें की तरह। यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम है कि यदि इस राज्य की यह स्थिति है तो यह एप्रोप्रियेशन बिल नहीं मिस-एप्रोप्रियेशन बिल कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मानता हूं कि राज्य की जो स्थिति है उसमें आंख मूंद कर कोई नहीं रह सकता है जैसे, कबूतर बिल्ली के डर से आंख मूद कर नहीं बैठता है। मैं मानता हूं कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिये इमरजेंसी के नाम पर सरकार इस काम को करती है। इमरजेंसी का मतलब है सुरक्षा के लिये प्रबंध करना और इसकी जवाबदेही केन्द्रीय सरकार की है फिर भी राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उसमें मदद दे और उसके लिये उत्पादन वृद्धि करे और उत्पादन के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। लेकिन संकट की स्थिति के नाम पर सिंचाई और कृषि में कटौती करना ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि सरकार उत्पादन के क्षेत्र में अधिक कटौती कर रही है। सरकार को चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम अपनावे। कल माननीय सदस्य श्री सुनील मुखर्जी ने सुझाव दिया है। वह बहुत अच्छे सुझाव थे। मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार केवल सेल्स टैक्स लगाकर या इन्टरटेनमेंट० टैक्स में वृद्धि कर राज्य कोष में वृद्धि नहीं कर सकती है। इसलिये सरकार को चाहिए कि माइन्स और मिनरल्स के रेंट में काफी वृद्धि करें उसकी रोआयलटी को बढ़ा दें। पहले भी एक बड़ी रकम सलामी के रूप में मिलती थी और वे खुशी-खुशी देते थे। इसलिये जो माइन्स और मिनरल्स के उम्मीदवार हों उनसे एक बड़ी रकम सलामी के रूप में ली जा सकती है। उनके रेंट में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि स्टोन चीप्स की कीमत आज पहले से बहुत बढ़ गयी है जो चालीस रुपए मिलता था वह ९५ रुपए हो गया है। आज सड़कों, पुलों को बनाने के लिए इसकी काफी जरूरत पड़ती है। इसलिए जब-जब सरकार पहाड़ों को बन्दोबस्त करे तो उसकी रोआयल्टी में काफी वृद्धि करके करे।

(अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राज्य में जो वित्तीय संकट है उसके लिये सिर्फ विभिन्न विभागों में कटौती करने से काम नहीं चलेगा इसके लिए सरकार को आय के स्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं आय स्रोतों के जरिए राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सकती है। उदाहरण के रूप में मैंने कहा कि माइन्स और मिनरल्स के रोआयल्टीज और रेट्स में वृद्धि होनी चाहिए, जंगल से भी आय बढ़ायी जा सकती है। जंगल को भी इस वित्तीय संकट में किसी खास व्यक्ति-विशेष के हाथ मीनीमम रेट पर सौंप दिया गया है यह भी राज्य के साथ अंधेर है। इसीलिए इस एप्रोप्रिएशन बिल को मिस-एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाय तो कोई अत्युक्तिनहीं होगी। सरकार को जंगल से भी आय बढ़ानी चाहिए जो एक व्यक्ति-विशेष के हाथ में वर्षों

के लिए दे दिया गया है मीनीमम रेट बिना किसी बिड के इससे राज्य को वित्तीय क्षति हो गयी है इसको कैंसिल कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर इनकम में भी सुधार होना चाहिए और मैं इस पक्ष में भी हूं कि जरूरत हो तो फेयर रेंट की भी व्यवस्था हो क्योंकि बहुत जगहों में रेन्ट बहुत-ही कम है।

इस सिलसिले में शिक्षा में भी बहुत बड़ी कटौती हुई है। शिक्षा समाज, राज्य और राष्ट्र के उत्थान का मेरूदंड है। इसमें किसी तरह की कटौती करना बहुत ही हानिप्रद है। किन्तु दुख है कि करीब ३ करोड़ रुपए की कटौती इस वर्ष शिक्षा में की गयी है। शिक्षा का कितना महत्व है इसको मैं इसी सिलसिले में सरकार के ही शब्दों में आपके जरिए सदन के सामने रख देता हूं। सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पुस्तिका "सामुदायिक विकास में ग्राम शिक्षक की भूमिका" जो छपी है उसके चन्द पंक्तियों को मैं आपके जरिए सदन में उद्धृत करता हूं जिससे मालूम होगा कि शिक्षा का क्या महत्व है। वह निम्न प्रकार से है:—

"यह शिक्षा ही वह आधार है जिस पर समाज का सामाजिक आर्थिक संगठन निर्मित करना है, शिक्षा के फलस्वरूप ही ग्रामवासी अनेक शताब्दियों की जड़ता को दूर कर सकते हैं, शिक्षा से ही ज्ञान की खिड़कियां खुल सकती हैं और जनता में उत्पादन बढ़ाने तथा अपने जीवन-मान को सुधारने की इच्छा तथा निश्चय उत्पन्न हो सकता है, शालाओं तथा समाज-शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा ही सर्वसाधारण जनता का दृष्टिकोण बदला जा सकता है और उसके मन का इतना विकास किया जा सकता है कि वह सामाजिक तथा तान्त्रिक परिवर्त्तन के विचारों को पर्याप्त रूप से ग्रहण कर सके।"

शिक्षा का इतना महत्व है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुख है कि अभी जो हमारे राज्य की स्थिति है कि शिक्षा पाने लायक लड़कों में से प्रति हजार आन्ध्र में २१२, आसाम में २७४, गुजरात में ३०५, महाराष्ट्र में २९८, मैसूर में २५४, बंगाल में २९२, पंजाब में २४२ केरल में ४४८ और बिहार में हजार में १८० पढ़ने लायक लड़के हैं जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। इस राज्य की स्थिति जहां तक शिक्षा का संबंध है और अभी जो थर्ड फाइव-इयर प्लान में इस राज्य की उसके अनुसार से ही जो सरकार का आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की वृद्धि के लिये जो अभी ६ से ११ वर्ष तक के लड़के हैं उनके लिये अगर हम समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करें और जो योजना में निहित है उसके अनुसार भी यहां ४० हजार टीचर्स की जरूरत है यानी कम-से-कम ८ हजार प्रतिवर्ष शिक्षक की बहाली होनी चाहिए जिसका खर्च सब मिलाकर करीब १० करोड़ होगा। इसी तरह ११ से १४ वर्ष के वच्चों के लिये जो स्कूल जाने लायक लड़के हैं उनके समुचित शिक्षा का प्रबंध करने के लिए तीसरी योजना जो सरकार से ही बनी है उसके अनुसार पांच वर्षों में ८ हजार टीचर्स चाहिए।

उसी तरह से ११ से १४ वर्ष के स्कूल जाने वाले लड़कों के लिये समुचित शिक्षा देने के लिये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी उसके अनुसार ५ वर्ष में ८ हजार टीचर्स चाहिए और उसके खर्च के लिए १६ करोड़ रुपया यानी प्रति वर्ष ३ करोड़ २० लाख रुपया चाहिए। उसी तरह से प्राइमरी शिक्षा के लिए इस वित्तीय वर्ष में १३ करोड़ २० लाख की व्यवस्था होनी चाहिए थी किन्तु दुःख है कि हमने १९६२-६३ के लिए ८ करोड़ ९४ लाख रुपए की व्यवस्था की है। इस तरह से मालूम होता है कि हम शिक्षा में कितना पिछड़े पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने एक दिन

कहा था और आपने एक सुझाव दिया था कि शिक्षा के मद में और दूसरे मद में खर्च करने में बड़ा अन्तर है। जहां हम पी० डब्लू० डी० में एक वर्ष में १५ करोड़ खर्च करते हैं तो दूसरे वर्ष में जहां वित्तीय संकट है वहां हम सिर्फ रीपेयर पर ५० लाख रुपया खर्च करते हैं और इस तरह की कटौती करते हैं। इसी तरह से मालूम होता है कि अगले वर्ष हम सड़क का निर्माण नहीं कर रहे हैं लेकिन शिक्षा के मद में ऐसी हालत नहीं है। जब हम एक वर्ष में एक नया क्लास खोल देते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उसको कायम रखने के लिये हमको दूसरा क्लास खोलना पड़ता है। उसी तरह से लोअर को प्राइमरी करना पड़ता है और प्राइमरी को मिड्ल और मिड्ल को हायर सेकन्डरी और उसके बाद कॉलेज का इन्तजाम करना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शिक्षा का उचित विकास नहीं हो पाता है। जहां हम वित्तीय संकट की वजह से दूसरे मदों में कटौती करते हैं लेकिन शिक्षा के मद में हम नहीं कर सकते हैं। एक दफे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं वरन् हमको प्रति वर्ष आगे बढ़ना जरूरी और लाजमी है। इसलिए हमको शिक्षा के विकास के लिये सभी तरह की शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी जरूरी है लेकिन दुःख है कि विगत वर्ष जो हमने शिक्षा पर खर्च किया है उसको इस साल नहीं खर्च करने जा रहे हैं। इसमें सरकार की क्या नीति है और सरकार क्या करना चाहती है समझ में नहीं आता है। सरकार का ख्याल है कि इस तरह की कटौती करके वे समस्या का समाधान कर पायेंगे। हमारे जिले में १०२ यूनिट हैं और ब्लॉक पीछे २ यूनिट पड़ता है। यदि आप किसी स्कूल का अपग्रेडींग करते हैं तो वहां शिक्षक को देना अनिवार्य हो जाता है इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो दो यूनिट है वह भी पर्याप्त नहीं है। सरकार की योजना जो बनती है वह सोच समझ कर बननी चाहिए। शिक्षा में कटौती करना बहुत बड़ी भूल होगी। चीनी हमले का मुकाबला करने के लिये भी यहां के नवयुवकों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। नौजवानों के अन्दर जागृति और विकास तभी होना संभव है जब हम उन्हें शिक्षित करेंगे। सामुदायिक विकास के लिए भी शिक्षा का कितना महत्व है हम सभी जानते हैं लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अभी १०१ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिस पर सरकार १५ लाख रुपया खर्च करती है और ८,००० वहां से ट्रेन्ड होकर निकलते हैं तो मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि जब वे ट्रेन्ड होकर मैदान में आवेंगे और आपके पास उनको काम देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, मैं तो यह नहीं समझता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए यह शायद उचित हो कि बेकारों की फौज तैयार करती जाय।

दूसरी बात मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के संबंध में कहना चाहता हूं। कम्युनिटी डेवलपमेंट का पहले बहुत बड़ा शोर हुआ कि उससे बहुत सारे विकास के कार्य होंगे। लेकिन व्यवहार में हम यही देख रहे हैं कि प्रखंड के विकास के कामों में उससे रुकावट पैदा होती है। कॉलेज से पास होकर निकलने वाले नये-नये लोगों को बी०डी०ओ० बनाकर भेज दिया जाता है। जबकि एक टेक्निकल हेड, सायन्स ग्रेजुएट जो ६-७ साल की पढ़ाई के बाद डाक्टर बनता है उसके ऊपर एक साधारण जूनियर आदमी को हाकिम बनाकर बैठा दिया जाता है तो इससे आपसी वैमनस्य के कारण वहां के कामों में बाधा होती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कोई टेक्निकल ग्रेजुएट वगैरह को जैसे जो कृषि वगैरह से पास कर निकले हों उन्हीं को बी०डी०ओ० के काम में लिया जाय और उसके अलावे भी उनको सिर्फ रेवेन्यु का ही काम दिया जाय।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आज राज्य में एक अजीब हवा बह गयी है। शायद हमारे मुख्य मंत्री महोदय को सोये हुए स्वर्गीय अब्दुल बारी यह झकझोर कर कहते हैं कि अमुक जगह मत जाओ विष दे दिया जायगा या शायद हमारे पूजनीय भूतपूर्व स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बाबू उनसे यह कहते हों कि उन्हें विष दे दिया जायगा। या कोई आदमी मछली के पेट में जहर डालकर मारने का षड्यंत्र करने के लिये कैसे साहस कर सकता है जबकि वह जानता है कि उसके सारे परिवार के लोग पकड़े जायेंगे। पोस्टमौर्टम होगा केस चलेगा और लोगों को कड़ी-से-कड़ी सजा होगी। इसलिए ऐसी स्थिति में इस तरह की बातों का होना कैसे संभव हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसमें एक यह भी बात है कि यहां कांग्रेस का बहुमत है और लोगों का तान कनौजिया १३ चूल्हा हो चुका है इसलिए भविष्य में मुख्य मंत्री के लिये सेकन्ड मैन कोई यह कहे कि वही मुख्य मंत्री होगा ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर विष देने के लिए कोई कोशिश क्यों करेगा ? मुख्य मंत्री महोदय को सदन में इस तरह का एक वातावरण तैयार करने के लिए इसके लिये एक वक्तव्य दे देना उचित नहीं है। यह कैसी बात होगी कि इस चीज की विभागीय जांच न कराकर एक हाईकोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच करायी जाय।

*श्री मंगल प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा भाषण देकर समय बर्बाद करना नहीं चाहता, सिर्फ एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थन करते हुए सरकार की जो खामियां हैं उनको बता देना चाहता हूं आपके मारफत। अभी जो हमारे यहां स्थिति है इसमें नेपाल राज्य से अच्छा संबंध रहना चाहिये। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वे क्या करते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि लोगों का मोरल ऊंचा किया जाय। सरकारी अफसर मोरल ऊंचा करने के बदले उसको नीचा करते हैं। अगर दो आदमियों के बीच झगड़ा होता है तो ८०, ८० आदमियों पर मुकदमा कर दिया जाता है। उसके बाद वानिंग देकर रुपया लिया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। यह सब अफसर लोग कर रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। और क्या, नेपाल के लोग जब इधर आते हैं तो उनको गिरफ्तार करके ऐसा कर दिया जाता है कि नेपाल के साथ अच्छा संबंध होने के बदले और खराब हो जाता है। मेरी राय में बोर्डर पर चुन-चुन कर ऐसे अफसर रखे जायं जो ईमानदार हों नहीं तो सारी मोरैलिटी की बात और नेपाल से मेल मिलाप की बात काफूर बन जायेगी, कुछ रह नहीं पायेगा।

दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि मोरल लोगों का ऊंचा किया जाय। हम लोगों से भी कहा जाता है...........

अध्यक्ष—केवल भाषण से "मोरल" ऊंचा नहीं होता है।

श्री मंगल प्रसाद यादव—मेरे कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय कि हमलोग जहां जायं वहां लोगों को समझावें। तो हमलोग समझावें क्या ? हमलोग समझाते हैं और अफसर लोग स्थिति और खराब कर देते हैं। बी० डी० ओ० लोग क्या करते हैं ? मैंने मुख्य मंत्री से भी कहा और इस चीज को सभी सदस्य जानते हैं। ३१८ आदमी हमलोग यहां चुनकर बिहार विधान-सभा में आये हैं। आप सभी से पूछिये कि ब्लौक डेव्हलपमेंट अफसर के साथ उनका संबंध क्या है। यहां के किसी बड़े अफसर के यहां

हम जाते हैं तो वह हमारी इज्जत भी करता है लेकिन ब्लॉक में क्या होता है? हमारी कोई इज्जत वहां नहीं है। यह हालत एक लाख जनता द्वारा चुने गये लोगों के प्रतिनिधि की है। तो मैं कहता हूं कि जनता द्वारा चुने गये एक प्रतिनिधि की इज्जत नहीं हो तो जितने भी हमलोग चुनकर आये हैं यहां और बैठे हैं, मंत्री या उप-मंत्री भी क्यों न हों, किसी को भी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्रिगण अपने अफसरों को दुरुस्त रखें। तभी माननीय सदस्यों की भी प्रतिष्ठा उन अफसरों द्वारा होगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां के बी० डी० ओ० ने मिलिटरी द्वारा पकड़वाकर लोगों को पीटा और उनका घर उजड़वा दिया। थाने पर उम्मैद मियां और देवधारी महतो पकड़वाकर लाये गए बारगेनिंग करके उम्मैद मियां को छोड़ दिया और देवधारी को जेल में बंद कर दिया। बी० डी० ओ० से जिसको थोड़ा सा भी मतभेद है उसको डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अन्दर गिरफ्तार करवा लेता है। उसके बाद वकील का पाकेट गरम कीजिये ....

अध्यक्ष—शांति। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का इस्तेमाल करने का अधिकार बी० डी० ओ० को नहीं है ; यह अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को है।

श्री मंगल प्रसाद यादव—मैं हुजूर से कहना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट देता है और उसके बाद एस० डी० ओ० के यहां से नोटिस हो जाती है और तब कचहरी में जाना पड़ता है। तो इस तरह से तमाशा होता है और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बेतिया के सेकेन्ड अफसर ने थाना में २६ घंटा रखा अच्छे-अच्छे लोगों को। उनका नाम पूछा जाय तो मैं बता दूंगा।

वहां पर कर्ज की वसूली में उनलोगों को २६ घंटे तक जेल में रखा गया है और बेतिया के सेकेन्ड अफसर श्री एस० के वर्मा ने ऐसा किया। जब वहां के गरीब किसान भूखों मर रहे थे और जब उनको रुपये की दिक्कत थी तब आपने तकावी लोन दिया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनके घर में घुस करके उनको लूटें। एक आदमी के बैल को खोल लिया गया। इसका विरोध करने पर कहा गया कि तुम्हारी बेटी को भी हम घर से निकाल लेंगे, ऐसा मैंने सुना है। वहां पर एक साधु की झोपड़ी उजाड़ दी गयी है। इसी तरह का व्यवहार एक ठीकेदार के साथ किया गया है और वह तो बी० डी० ओ० के खिलाफ मुकदमा करने गया था। इसी तरह से वहां पर इस वसूली के चलते आतंक मचा हुआ है। वहां पर श्री राजवंशी राय श्री महेश्वर तिवारी, श्री कालिका तिवारी और श्री असर्फी मियां को २६ घंटे तक जेल में रखा गया और उसके बाद छोड़ा गया। इसी तरह से मोतिहारी के एक मैजिस्ट्रेट हैं जिन्हें २२ साल में भी नौकरी की सम्पुष्टि नहीं हुई है। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप बराबर लगता रहा है और मोतिहारी में भी इनका यही रवैया है। जनता उनसे परेशान है। हाहाकार मचा हुआ है। सरकार को ऐसे अफसर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये। एक बी० डी० ओ०, मधुबन ने श्री देवधारी महतो को जेल भेजा था और उम्मैद मियां को बारगेनिंग के बाद छोड़ दिया था।

इसके बाद जमीन की बंदोबस्ती में एक आदमी के हाथ १८ बीघा जमीन की बंदोबस्ती कर दी गयी और उसका रसीद भी कट गया। लेकिन पीछे जमाबंदी में उसका नाम काट दिया गया और उसका नाम जमाबंदी से निकाल दिया गया। अब ऐसा होने से पब्लिक की मोरैलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इसके अलावे एक अफसर अपने

जातिवाले लोगों के हाथ ही जमीन की बन्दोबस्ती कर रहा है। वह अहीर जाति का है और उन्हीं लोगों के हाथ जमीन की बन्दोबस्ती करता है और हरिजन के दरखास्त देने पर भी कोई जमीन उनके हाथ बन्दोबस्ती नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये।

इसके बाद में कुछ सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। अभी गुलाम नगर थाने में मैसान डैम बन रहा है जिससे एक लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने की बात थी। इस पर ३ करोड़ रुपये खर्च होने की बात थी लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसे नहीं लिया जा रहा है। वहां पर किसी दूसरी स्कीम से सिंचाई होने की बात नहीं है और इसलिये इस स्कीम को हाथ में लेना चाहिये।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाऊंगा। अभी इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि माननीय मुख्य मंत्री को विष देने का प्रयास हो रहा था। इसकी जांच-पड़ताल मिस्टर मल्लिक को सौंपा गया है जो सेन्ट्रल सी० आई० डी० के अफसर हैं। सुनने में आ रहा है कि वे बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। उनके हाथ में इसकी जांच को दिया गया है तो ठीक ही किया गया है।

हुजूर, एक बात की चर्चा है जिसको मैं यहां कह देना चाहता हूं और वह चर्चा जो है वह बिहार सरकार और मुख्य मंत्री की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाता है। मैं पूछता हूं कि आपने पहले यहां के डी० आई०-जी०, सी० आई० डी० से क्यों नहीं पूछा। आपने पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट में क्यों भेज दिया? मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इसको देखें और इस पर जांच करावें। यह बात बहुत ही भयंकर है और इसकी जांच करानी होगी। इसलिये मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री और सरकार की सफ़ाई होने के पहले सरकार इसकी जाच के लिये उच्च अधिकारियों की एक कमीशन बना दें और उसी के द्वारा जांच करावें, न कि सी० आई० डी० से जांच करावें। इतना ही कह कर मैं, चूंकि लाल बत्ती हो गया है, बैठ जाता हूं।

*श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस एप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करता हूं और दो-चार बातें मैं आपके सामने इसके संबंध में रख देना चाहता हूं। यह कहा गया है कि संकटकालीन अवस्था को देखकर तैयार किया गया है और इसी उद्देश्य से हम युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं कि किस तरह से एक साल के अन्दर हम अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खास करके बिहार में तो ८५ फी सदी जनता जमीन यानी खेती पर ही निर्भर करती है और १५ प्रतिशत जनता दूसरे-दूसरे रोजगारों पर निर्भर करती है। आज हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिये कृषि उत्पादन कितनी जरूरी हो गयी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दो-दो पंच वर्षीय योजनायें समाप्त हो गयी हैं और तीसरी पंच वर्षीय योजना भी शुरू हो गयी है और यह भी हम जानते हैं कि हमारी आजादी के हुए १५ वर्ष हो गये हैं फिर भी कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारा देश खेती पर निर्भर नहीं हो सका है और खास कर बिहार स्टेट खेती पर निर्भर नहीं हो सका। आज भी हम दूसरे देश जैसे अमेरिका आदि देशों से गेहूं मंगाना पड़ रहा है और हम अपने ऊपर अन्न के मामले में निर्भर नहीं हो पाये हैं। आज हम देखते हैं कि हमें फौरेन एक्सचेन्ज की जरूरत है, हथियार मंगाने की जरूरत है, हथियार का कारखाना खोलने की जरूरत है। इसके लिये हमें पैसे खर्च करने की जरूरत है। फुड का सामान भी मंगाने की भी जरूरत पड़ रही है। आज दूसरे देश इन्डस्ट्रीज में

आगे बढ़ रहे हैं, पोपुलेशन के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम इस ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आज जरूरत है मिलिटरी को बढ़ाने की और हम बढ़ा रहे हैं और दिन प्रति दिन इसको बढ़ाते ही जायेंगे। इसलिये भी अन्न की तादाद को बढ़ाना जरूरी है। तो इन सब बातों को देखते हुए आज आप क्यों नहीं खेती की पैदावार को बढ़ाते हैं? हम देखते हैं कि बिहार राज्य कृषि के मामले में पीछे पड़ा हुआ है, उत्पादन के क्षेत्र में पीछे पड़ा हुआ है। आज जो लोग उत्पादन के काम में लगे हैं उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास बैल नहीं है, उनके पास बीज नहीं है तथा और सामान भी नहीं है और सारे सामान उनके लिये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या ही बिहार में ज्यादा है और वे लोग कर्ज लेकर खेती करते हैं। वे कर्ज लेते हैं महाजनों से और नतीजा होता है उनको अनाज कर्ज के बदले में देते हैं। उनके पास कैपिटल नहीं रहता है जिसे वे प्रोडक्शन में लगावें। एक तो उनके पास कैपिटल की कमी रहती है और दूसरे बैल वगैरह की कमी भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके चलते किसानों की लूट हो जाती है, उनकी कमाई की लूट हो जाती है। सरकार ने कहा था कि इसके लिये सहयोग समिति हम बनायेंगे लेकिन आज सरकार ने सहयोग समितियां क्यों नहीं बनायी? अगर सरकार सहयोग समितियां बनाये होती तो गांव के अन्दर ही उनके अनाज की खरीद बिक्री होती। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं सहयोग समिति बनाने की घोषणा करती है? क्यों नहीं स्टेट ट्रेडिंग करती है? हमारे देश के आजाद होने के बाद जो देश आजाद हुए जैसे बर्मा आदि उन देशों ने भी स्टेट ट्रेडिंग कर दिया तो क्यों नहीं बिहार सरकार भी ऐसा करती है? अगर स्टेट ट्रेडिंग हो जाती तो आज किसानों की लूट नहीं होती और वे इससे बचते तथा किसानों को इससे फायदा होता। आज किसान लोग खेती मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल की कमी होने की वजह से वे खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार की नीति ऐसी है कि जो अन्न बोते हैं उनकी कीमत घटती जाती है। जूट के दाम को ही लें। सरकार के पास एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट है और उसके आंकड़े के मुताबिक जूट तैयार करने में १ मन में २५ रुपया खर्च लगता है लेकिन वह १५-२० रुपया की दर से ही बिकता है। तो आप ही बतायें कि क्यों किसान लोग जूट की खेती को बढ़ायेंगे? ऊख की खेती को ही लीजिये। पहले ऊख का दाम २ रुपया मन था लेकिन अभी उसका दाम १ रु० तीन आने मन हो गया है। तो क्यों किसान ऊख की खेती करेंगे जब उसका दाम घटता ही जाता है? लेकिन हम देखते हैं कि चीनी का दाम घटा नहीं है बल्कि चीनी का दाम बढ़ता ही जाता है। जूट का दाम घट गया है पर उसीसे जो बोरा तैयार किया जाता है उसका दाम बढ़ता ही जाता है। तो आप कैपिटलिस्ट लोगों को दाम बढ़ाने के लिये छोड़ देते हैं लेकिन जो किसान खेती करके उत्पादन करता है उसके चीज की कीमत को घटा देते हैं। तो कैसे उनमें उत्साह हो? मेरा कहना है कि आप पूंजीपतियों के मन के मुताबिक ही अपनी नीति को घोषित करते हैं लेकिन आगे चल कर सरकार अपनी नीति में फेल कर जाती है। किसान लोग मेहनत करके खेती करते हैं, किसान-मजदूर हल चलाते हैं, धान रोपते हैं और जाड़े या गर्मी या बरसात के दिनों में भी कड़ी मेहनत करते हैं जिससे उनके हाथ पांव भी सड़ जाते हैं, वैशाख की गर्मी में, धूप में हल चलाते हैं लेकिन आप उनकी हालत को देखें। हम जानते हैं कि सोशलिज्म का माने है सबको बराबर कर देना लेकिन बराबर कर देने की मांग होती है लेकिन बराबरी होती नहीं है। आज जो उत्पादन करने वाले मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। आपके एग्रीकल्चरल इनक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी उनकी संख्या बढ़ती ही जा

रही है। तो एक तरफ इन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ धनी वर्ग की भी संख्या बढ़ रही है लेकिन मध्यम वर्ग आज टूट रहे हैं और टूटकर चाहे धनी हो रहे हैं या मजदूर हो रहे हैं। इस तरह एक वर्ग विलोन हो रहा है, आपके एक कांग्रेसी माननीय सदस्य ने कहा था कि ये लोग वर्ग-संघर्ष में विश्वास करते हैं लेकिन अगर वे वर्ग परिवर्त्तन में विश्वास करते हैं तो सिर्फ दरभंगा महाराज को सुरक्षा समिति में ले लेने से वर्ग परिवर्त्तन नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिन खेतिहर मजदूरों को जमीन जातने की शक्ति है उन्हें आप जमीन दीजिये, परन्तु मैं देखता हूं कि आप उन्हें जमीन देना नहीं चाहते, आप उनकी मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहते, आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना नहीं चाहते, पहले जो अंग्रेजी राज्य में था उससे भी वे नीचे जा रहे हैं। गत साल भी मैंने कहा था कि लालगंज, बेनीपट्टी आदि जगहों में चलकर देखें कि आज मजदूरों के घर की हालत क्या है? बढ़िया है या खराब है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार यानी सेकेन्ड एग्रिकल्चर इनक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत यह है कि आज पहले से ज्यादा बेकार होते चले जा रहे हैं। १९५०-५१ में इनक्वायरी कमिटी बैठी थी, फिर १९५६-५७ में बैठी। दोनों को कम्पेयर करने से हम क्या पाते हैं। १९५६-५७ की रिपोर्ट में है कि:

"The unemployment of casual male labourers had increased to 120 days in 1956-57 from 85 days in 1950-51."

तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां हमारे मजदूर १९५०-५१ में ८५ दिन बेकार रहते थे वहां १९५६-५७ में वे १२० दिन बेकार रहने लगे। इतना ही नहीं मैं उनकी दूसरी हालतों पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। १९५०-५१ में मेल मजदूरों का वेजेज था १२६ नये पैसे, १९५६-५७ में वह ९० नये पैसे हो गया। फिमेल मजदूरों का वेज था १९५०-५१ में १११ नये पैसे १९५६-५७ में यह हो गया ९० नये पैसे। यह तो मजदूरों की हालत है। इसी तरह से जहांतक उनके खर्च का सवाल है १९५०-५१ में एक मजदूर का खर्च था ४२ रुपया वह १९५६-५७ में ६४ रुपया हो गया। इस पर उनपर तरह-तरह के टैक्स का भी असर अलग है। इस तरह से उनकी हालत में सुधार कहां हुई? हम कहते हैं कि एक भी ऐसी बात आप बतला दें कि आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों के जीवन में कहां परिवर्त्तन हुआ है। जो श्रम शक्ति खेती से सोना उपजाती है जिसे हम, आप और आपके अफसर सभी खाते हैं उसको आप इस तरह कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसका खर्च बढ़ाकर। इतना ही नहीं, आज वे रहते कहां हैं जरा यह भी देखा जाय। कोई भी अधिकारी आज उनके घर में जाकर देखें कि उनकी हालत क्या है। सरकार कहती है कि हमने कानून बना दिया वे अपनी जमीन से नहीं हटाये जायेंगे। लेकिन हमारी बात आप छोड़ दें, खुद आपकी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि आज किस तरह उनके घर उजाड़े जा रहे हैं हालांकि कानून बना हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या यही समाजवाद आप कायम करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं ऐसा आॅर्डर देते हैं कि छः महीने के अन्दर जितने आदमी जिस जमीन पर बसे हुए हैं उसकी उन्हें रसीद काट दी जाये। इतना ही नहीं, आज जब देश का पापुलेशन बढ़ा है तो खेतिहर मजदूरों का भी पोपुलेशन बढ़ा है लेकिन आज वह जिस झोपड़े में रहता है उसमें वह सोता है, उसके लड़के की शादी हो गई है तो वह लड़की भी सोती है और उसी घर में बकरी, मुर्गा सभी रहते हैं। क्या इस स्वराज्य के बाद भी गरीब किसान को पूरी जमीन में बसने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ यह कह देने से कि इस वर्ग से भी एक मिनिस्टर लिये गये हैं इसीसे हरिजनों का कल्याण हो जायेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी आस्पेक्ट्स पर सरकार को गौर करना चाहिये और देखना चाहिये कि खेतिहर मजदूरों की हालत क्या है।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर कांग्रेस के गद्दी पर आने के पहले सन् १९३० में खड़गपुर में और १९३५-३६ में करांची में और १९३९ में कुमाराप्पा कमिटी और अशोक मेहता को प्लानिंग कमिटी में, सबों ने एक स्वर से यही कहा कि जबतक हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, भूमिसुधार नहीं होगा, बिहार में सीलिंग नहीं होगी, भूमि का बटवारा नहीं होगा तबतक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता और बिहार प्रान्त उन्नत नहीं हो सकता। जिस हिसाब से सरकारी कमीशन के डाइरेक्टिव को तोड़ा गया है उसको देखते हुए यह कहा गया है कि जमींदारी चली गयी लेकिन इसका छाप अभी भी बिहार और यू० पी० के अन्दर उसी तरह से है। हमारे यहां कानून पास हुआ और उसमें यह रखा गया कि दरभंगा जिला के एक व्यक्ति को बगीचा के लिये इतनी जमीन, पार्किंग के लिये इतना, आदि आदि। इस तरह एक आदमी को ४० एकड़ जमीन देते हैं और इसके खिलाफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी को एक धूर भी जमीन नहीं है। तो सिर्फ दरभंगा महाराज को कमिटी में ले लेने से वर्ग-परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें समझ में नहीं आता कि विनोबा बाबू के राज्य में क्या होता है। दरभंगा जिला के सबसे बड़े महाराजा को जमीन नहीं ली गयी। आज जमीन का बटवारा करना होगा, खेतिहर मजदूरों को जमीन देनी होगी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और विरोधी दल अगर बोलता है तो उसपर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आप पुलिस पर खर्च बढ़ा रहे हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च बढ़ा रहे हैं और आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी तरह से चले तो लोगों को असंतुष्ट नहीं करें। हम अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि खुलेआम आपके कर्मचारी घूस लेते हैं और आप कहते हैं कि घूस लेना देना पाप है। आपके कर्मचारी कहते हैं कि हम क्या करें, टैक्स बढ़ रहा है, हम कैसे काम चलायें तो आपके कर्मचारी आपकी नीति से असंतुष्ट हो रहे हैं। आपके टैक्स बढ़ाने से, आपके प्रो-जमींदार ऐंड प्रो-कैपिटलिस्ट पौलिसी से आपके कर्मचारी नाखुश हैं और जो आप इस तरह परिवर्त्तन कर रहे हैं उससे भी। मैं कहूंगा कि एक साथ सभी काम नहीं होगा। आप अपनी नीति को छोड़ें और गरीबों को ऊपर बढ़ायें तभी देश की उन्नति हो सकती है। हम देखते हैं कि एक तरफ टाटा-बिड़ला से अनुरोध करते हैं कि कहीं वे स्वतंत्र पार्टी में न चले जायं, इसी तरह दरभंगा महाराज को खुश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ विशाल जनसमूह पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं जिससे सारे देश की जनता रोती है। इससे डेमोक्रेसी पर खतरा है। जनता कहती है कि इससे बढ़िया तो अंग्रेजी राज्य ही था। तो हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत असंतुष्ट हो रहे हैं।

मैं मानता हूं कि ऐसी बात नही कहनी चाहिये, लेकिन क्या सरकार को इस तरह से जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाना जायज है? क्या सरकार इससे अन-पोपुलर नहीं होगी। क्या श्री कमलनाथ झा सरकार को अनपोपुलर होने से बचायेंगे, आज इस तरह से जनतंत्र को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं।

*श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान मैं पंजाब

सरकार के उस आदेश की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके द्वारा पंजाब सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसने फैसला किया है पिछड़े समाज के बारे में। पिछड़े समाज के बारे में पंजाब सरकार का फैसला है कि जातपात का वर्गीकरण नहीं करके उन्होंने जिनकी आमदनी १,००० रु० से कम है पिछड़ा समाज माना है। मैं समझता हूं कि समाज के क्रांति के लिये, समाज के उत्थान के लिये, समाज की प्रगति के लिये पंजाब सरकार का यह आदेश कमाल है। बिहार सरकार में भी इन बातों की चर्चा हुई

है, इसका विचार विनिमय हुआ है लेकिन अभी तक इस दिशा में बिहार सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हम जोरदारी के साथ बिहार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे और हम उम्मीद करेंगे इस तरह वर्गीकरण कर बिहार जनता की बहुत बड़ी सेवा करेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस जमाने में जहां आपने कर्ज की वसूली की, जो कि बिहार सरकार की आर्थिक अवस्था के कारण जरूरी है। लेकिन इस वसूली में जिस कड़े माध्यम का प्रयोग किया गया है, जनतंत्र की टांग जिस तरह तोड़ी गयी है, मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों से वैसा नहीं किया गया था। शताब्दियों से जिस पौधे को आपने सींचा, गोद में रखा, पनपाया उसे देहातों में जाने पर आपके अफसरों ने कुचल डाला, उन्होंने किसानों की घर के किवाड़ खोले, बैल खोले, उन्हें अपमानित किया है और जो भी हो सकता था अत्याचार किया। शानदारी के साथ जिसको आपने पनपाया उसे आपके अफसरों ने कुचला। जनतंत्र आज रोती है, मानवता रोती है। आपके आर्थिक सहयोग के लिये जब लड़ाई छिड़ी, लोगों ने सोना दिया, अपने बच्चों को अर्पित किया, अपनी जान को अर्पित किया। वही जनता जिसने झंडा लेकर अपने बच्चे को भेजा, आज कांग्रेस के राज्य को बनाया, अपनी सम्पत्ति कांग्रेस पर न्योछावर की उसे उम्मीद नहीं थी कि कर्ज को वसूली के वक्त उसको बेईज्जत करके उसके हित पर कुठाराघात करके सरकार अपने रुपये की वसूली करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस समय जो अत्याचार हुआ, कर्ज की वसूली में, टैक्स को वसूली में उसको देखकर कांग्रेस की आत्मा रोती होगी, महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी, जनसेवकों की आत्मा रोती होगी। मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि वह जनता के साथ वह खेलवाड़ नहीं करे। वसूली जरूर कीजिये लेकिन आप तीन साल में उस वसूली को कीजिये। तीन साल तक सूद माफ कीजिये, इन्सटौलमेंट कीजिये। हर एक आदमी ने फैसला कर रखा है कि इस इमर्जेन्सी के वक्त में सारा सहयोग देने को तैयार हैं, धन दौलत देने को तैयार हैं। कर्ज देने को खुद तैयार हैं लेकिन तीन साल में। तीन साल तक के सूद को माफ कीजिये, तीन साल में आपके सारे पैसे, सारे रुपये वे अदा कर देंगे। हर आदमी इस इमरजेन्सी के वक्त में देने को तैयार हैं, कर्ज की वसूली करने को तैयार है, बकाये की वसूली करने को तैयार है लेकिन तीन साल में वसूली हो और सूद माफ कर दें तो सब दे दें मगर आपने इस पर विचार नहीं किया कि कौन-सा क्षेत्र किस तरह गरीब है, किस तरह अमीर है, कितना पिछड़ा हुआ है, कितनी पैदावार खत्म हो गयी है और एक ही लाठी से चले तमाम लोगों से वसूली करने, आपने विकराल रूप में अपनी लाठी चला दी है। इस तरह जनता के साथ गलत प्रयोग होगा वसूली के लिये, आप उनकी सहूलियत पर ध्यान नहीं देंगे तो वह वसूल होना मुश्किल है। हम दिहात में जनता के साथ काम करने वाले हैं, मैं दिहात के लोगों की स्थिति को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि इस स्थिति में भी वे देने के लिये तैयार हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप उनकी सहूलियत पर भी सोचें। अगर आप उनकी सहूलियत को नहीं सोचेंगे तो उनको बड़ी कठिनाई होगी। आप हमदर्दी के साथ इस पर सोचें। आपने जनतंत्र को पैदा किया है तो उसको शांति के साथ पैदा करना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने शिक्षा की दिशा में, शिक्षा मंत्री ने बहुत सी प्रगति की है, मैं उनको प्रगति के लिये दाद देता हूं, उन्होंने बहुत से काम किये हैं जिसके लिये मैं उन्हें दाद देता हूं लेकिन कॉलेजों में जो प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में जिस तरह युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने वेतन देने का फैसला किया है उस ग्रेड को वे कॉलेज के प्रोफेसरों को नहीं देते हैं तो हम समझते

हैं कि युनिवर्सिटी शिक्षा की उन्नति वे नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं कि अफिलिएटेड कॉलेजों के प्रोफेसरों को २०० से ८०० का ग्रेड दें, जो सरकारी कॉलेज हैं उनके प्रोफेसरों को वह ग्रेड दें। जब युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ८० प्रतिशत रुपया देने को तैयार है तो बिहार सरकार को इसके मान लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। एक बार शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था और कहा था कि हम भी इस दर्द से बेचैन हैं कि किस तरह कॉलेज के प्रोफेसरों को अच्छा वेतन देकर शिक्षा की दिशा में संतोष लूं। अगर आप कॉलेज शिक्षा में, युनिवर्सिटी शिक्षा में प्रगति चाहते हैं तो यह आपके लिये जरूरी है कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो वेतन देने की सिफारिश की है उसे दें।

आजतक जितने भी सेवा करने वाले लोग, श्रमजीवी लोग हैं उन सबों में पत्रकार गरीब हैं। इसी समाज में रहने वाले एक डॉक्टर को जो ६ घंटे में ऑपरेशन का काम करता है उसे बिहार सरकार जो देती है, पत्रकारवर्ग के जो लोग हैं उनको कम तनख्वाह दिया जाता है। जो नियम है कि जो मिहनत करेगा खाएगा इसमें अगर कोई आता है तो वह पत्रकार आता है। मुझे अफसोस है कि सरकार ने अभीतक इस वर्ग की ओर, पत्रकारिता में सेवा करने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया।

अध्यक्ष—सरकार पत्रकारों की सहायता किस रूप में कर सकती है यह भी बतायें।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—सरकार पत्रकारों की सहायता इस तरह कर सकती है कि जहां हम भवन के लिये कर्ज देते हैं उसमें २५ परसेंट सूद कम ले सकते हैं। जहां मकान के लिये जमीन देते हैं उसमें २५ परसेंट कम ले सकते हैं। मेडिकल के लिये कोई सुविधा दें। श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, जनतंत्र की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे जो राज्य की पहरेदारी करते हैं उनकी सेवा करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री ने काफी प्रगति की है लेकिन एक बात खतरनाक है। टेक्स्टबुक कमिटी एक भालू और बाघ है। वह मानव को खा जायगा, वह समय पर पुस्तकों को नहीं छापती है तो और क्या काम कर सकती है। उसकी जैसी नीति है उससे तो हमारी सभी चीजें खतम हो जायेंगी। शिक्षा मंत्री इसमें सुधार लावें।

सरकार की मंशा कृषि तथा उद्योग बढ़ाने की है। लेकिन मंशा अच्छी रहने से भी कोई काम नहीं होता है। इसका कारण है कि सिंचाई की योजनायें व्यवहारिक नहीं हैं जिनके द्वारा हम जनता को लाभ पहुंचाने की बात सोचते हैं। मैंने पहले भी सरकार से अनुरोध किया था कि किसानों तथा विधान-सभा के सदस्यों को बुलाकर एक व्यवहारिक योजना बनावें कि किस तरह की योजनाओं से उनको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। डिटेल में यहां बताने का समय मुझे नहीं है कि किस योजना में क्या परिवर्तन करना चाहिये। सदन तथा सदन के बाहर के लोगों की राय से व्यवहारिक योजनायें बननी चाहिये। प्रचार विभाग की रिपोर्टों में पढ़कर भले ही हमलोग संतोष कर लें लेकिन ईमान की बात है कि बिना यह किये हमलोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं।

लोक-निर्माण विभाग में प्रगति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि डिजाइन सर्कल में आदमी बहुत कम है। एक एस्टीमेट को तैयार करने में २० वर्ष लग जाता है। सड़कों का निर्माण करना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जरूरी है इसलिये हर डिविजन में चीफ इंजीनियर के ऑफिस में डिजाइन सर्कल की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

इसके होने से लोगों की अधिक से अधिक सेवा हो सकेगी। २० मील की रोड बन जाती है लेकिन १० मील पर पुल नहीं बनता है क्योंकि एस्टीमेट उसका तैयार नहीं रहता है। नतीजा यह होता है कि सड़क में जो लाखों रुपये लगे रहते हैं वह बेकार हो जाता है। लोग उस सड़क से लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इस दिशा में आवश्यक काम करने की आवश्यकता है।

प्रखंड की दशा भी असंतोषजनक है। जहां सरकार इमरजेन्सी की बात करती है वहां ब्लौक में दो, दो जीप गाड़ियां चलती हैं। आपने शिक्षा में कम पैसा कर दिया, दूसरे विभागों में इकॉनमी कर दिया तो यह कौन-सी इकॉनमी है। ब्लौक का एरिया ८, १० मील का है। इस इमरजेन्सी में हमारे जवान साइकिल से तथा पैदल चलकर लोगों की सेवा करेंगे। सरकार के इस असंतुलित बजट का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या यही इमरजेन्सी का बजट है? यह सरकार गाड़ियों पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है?

श्री ब्रज मोहन सिंह (बांका)—अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सदन में जो एप्रोप्रिएशन

बिल लाया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संकट-कालीन स्थिति में जो राशि सदन ऐसी सरकार के हाथ में सौंपने जा रही है, वह उचित नहीं है। कारण कि यह सरकार भ्रष्ट और अत्याचारी है। अभीतक प्रान्त में अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी सरकार के रहने से ही यह हालत होती है।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन मुख्य मंत्री ने पुलिस पर हुई वाद-विवाद का जवाब देते हुए कहा था कि राज्य में कुछ ऐसे सफेदपोश व्यक्ति हैं, जो गांजा का अवैध व्यापार करते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। वे, कलक्टर के यहां जाकर बैठते हैं, उनके यहां मंत्रिमंडल के सदस्य भी पार्टी खाने के लिये जाते हैं। तो मेरा कहना है कि मुख्य मंत्री के नौलेज में यह बात रहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को, तो कलक्टर और एस० डी० ओ० क्या करेंगे। आज कांग्रेस के पवित्र नाम को बेचकर इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हवाई जहाज इत्यादि से घूमते हैं किन्तु भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में इनका कोई ख्याल नहीं रहता है। सदाकत आश्रम की गाड़ी में भी गांजा लादकर यहां से वहां ले जाया जाता है। इसी तरह से भागलपुर जिला में सुलतानगंज के पास गांजा से लदी एक गाड़ी चली जा रही थी, पुलिस की नजर पड़ी किन्तु वह गाड़ी बगल की एक बस्ती में ले जायी गयी और वहां गांजा उतार दिया गया। उसके बाद उस पुलिस की वहां से बदली भी करा दी गयी। ऐसी हालत में अफसर और पुलिस क्या कर सकती है?

दूसरी बात हाल की एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। वैद्यनाथ आयुर्वेद को टाटा मरसीडीज बेंज की ४० ट्रक का परमीट दिया गया। इस विषय में जब हंगामा हुआ तो इसकी जांच-पड़ताल करायी गयी किन्तु मजे की बात तो यह है कि फाइल ही गायब कर दी गयी। हमारे मुख्य मंत्री भी इस संबंध में सदन में कोई चर्चा नहीं की, इसका दो ही मतलब हो सकता है। एक तो यह कि वे भाषण देने के मामले में कमजोर हों या दूसरा यह हो सकता है कि वैद्यनाथ आयुर्वेद से इनका कोई संबंध हो।

अध्यक्ष—इस तरह से न कहें।

श्री ब्रज मोहन सिंह (बांका)—आज बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का धार्म कहता है कि हमलोगों को क्या होगा, हमने एक मंत्री के चुनाव के समय में दो-दो बार रुपया दिया है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भागलपुर जिला में स्वास्थ्य विभाग का काम अच्छा नहीं हो रहा है। इस विभाग के मेडिकल कॉलेज की धांधली के संबंध में हमें यहां पंडित रामानन्द तिवारी जी से बहुत कुछ सुनने का मौका मिला था लेकिन इस बार भागलपुर में मुझे दो एक दिन अस्पताल में रहने का मौका मिला। वहां की जो हालत है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां अस्पताल के अन्दर जितने बेड्स हैं उसे उन्होंने अपने में बांट लिया है। जबतक डॉक्टर को घर पर फीस नहीं दी जाती है लोगों को भर्त्ती नहीं किया जाता है। इमरजेन्सी के नाम पर दवा में कमी की गई है। अगर कुछ है भी तो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट उसमें से अपने लिये निकाल लेते हैं, कुछ दूसरे कर्मचारी स्टोर कीपर वगैरह लेते हैं, रसोइया वगैरह निकाल लेते हैं और जब अंत में कुछ बचता है तो वह रोगियों को मिल पाता है। रोगी बाजार से कुछ खाकर बरामदे पर सो रहता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां नर्सेज जो हैं वे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के मनबहलाव की चीज बन गई हैं। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का जो क्वार्टर था वह अलग था और नर्सेज क्वार्टर के पास लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट का क्वार्टर था लेकिन जबर्दस्ती लेडी सुपरिन्टेन्डेन्ट के मकान को डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट दखल कर लिया। तो इस तरह की हालत वहां की है। अस्पताल के बाहर कोई गेट नहीं है। बहुत से मवेशी अन्दर घुसे रहते हैं। अच्छा होता अगर उसे मवेशी अस्पताल बना दिया जाय।

अब मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं। विद्यापीठ को जो अनुदान सरकार दे रही है वह क्यों और किस तरह इसकी जानकारी प्राप्त करने की मैंने बहुत कोशिश की किन्तु पता नहीं चला।

अध्यक्ष—उसके बारे में तो आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री ब्रजमोहन सिंह—(बाका) वह विद्यापीठ बीस वर्षों से चल रहा है लेकिन उससे कोई भी उत्तीर्ण नहीं हुआ है। उसे अनुदान क्यों दिया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है यह बात समझ में नहीं आती है। अगर बगल के गांवों के रहनेवाले जो लोग हैं वे इसे बन्द कर देना चाहते हैं और इसे टेक्निकल इन्स्टीच्यूट में बदल देने के पक्ष में हैं।

अध्यक्ष—ऐसी बात आप कह सकते हैं कि किसी विशेष वर्ग के लोग इसके खिलाफ हैं।

श्री ब्रजमोहन सिंह (बांका)—आजतक जितने भी रुपये उसे दिये गये हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ हैं। उस इलाके के सभी लोग इसके खिलाफ हैं। इसकी जो कमिटी है उसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन वे लोग अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं। चानन स्कीम पूरी नहीं हुई लेकिन सरकार रुपया के लिये परेशान है।

हमलोगों की फसल भी बर्बाद हो गई क्योंकि पानी नहीं मिला। हमलोगों का कहना था कि जब काम कम्प्लीट हो जाय तो रुपया वसूल किया जाय।

हमारे पूर्व साहब ने स्वतंत्रपार्टी पर लाछन लगाया। जो पार्टी रूस और चीन की ओर देखे और इस तरह की लांछन स्वतंत्र पार्टी पर लगाये यह सोचने की बात है।

बस, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती कृष्णा देवी—अध्यक्ष महोदय, सरकार के अनुदानों की मांग से संबंधित जो

बिल है मैं उसका समर्थन करती हूं। पिछले बारह वर्षों में सरकार योजना पर अपना कुल जमा रोकड़ भी खर्च कर चुकी है। अब सरकार योजना क्षेत्र में कटौती करना चाहती है तथा गैर-योजना क्षेत्र में भी कटौती के लिये ठोस कदम उठाना चाहती है। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि पिछले बारह वर्षों में जिन-जिन जन-कल्याण की योजनाओं के लिये सरकार अपना जमा रोकड़ तक भी खर्च कर चुकी है उस योजना की पूर्त्ति हुई है या नहीं। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिये। जन कल्याण को योजना के नाम पर अगर रुपया खर्च हो गया है और उस योजना की पूर्त्ति नहीं हो सकी है या अधूरी पड़ी हुई है, तो सर्वप्रथम सरकार को इसे पूरी करवानी चाहिये। अधूरी योजना सर्वदा भ्रष्टाचार की गवाही देती रहेगी। यह सरकार के लिये बहुत कलंक की बात है। सरकार गैर-योजना क्षेत्र में भी खर्च को कम करने के लिये ठोस कदम उठा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि सरकार का वह ठोस कदम क्या छोटे-छोटे कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर बेकारी और भूखमरी की जमात को बढ़ाने तक ही सीमित है।

मैं तो इस संकटकालीन स्थिति में सरकार क. सुझाव देती हूं कि सरकार अपने सभी कर्मचारियों का वेतन आनुपातिक ढंग से इतना कम करे जिससे किसी को संकटकालीन स्थिति के कारण हटाने की नौबत न आवे और राज्य का काम समान रूप से चलता रहे। मैं सरकार से साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि संकट के नाम पर छोटे-छोटे कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर बेकारी और भूखमरी की नई जमात वह बनाने जा रही है। मोटी तनख्वाह पानेवाले ऑफिसरों और उनमें फैला हुआ भ्रष्टाचार राज्य के लिये एक नवीन संकट का कारण बनेगा।

मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के पिछले बारह वर्षों के विकास योजनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि सरकारी धन का अधिकांश हिस्सा, जनकल्याण की योजना के नाम पर भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया है। सरकार एक तरफ तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों को आदर की दृष्टि से देखती है। इसलिये भ्रष्टाचारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

भ्रष्टाचारियों की कोई खास जमात नहीं है। भ्रष्टाचारियों की जमात कुछ अफसरों पूंजीपतियों तथा दलालों को मिलाकर बनाई जाती है, उनका प्रभाव बहुत उंचाई तक पहुंच जाता है, उनको अखबार भी होता है, यह एक बुद्धिमानों की जमात है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार जनता के सामने भ्रष्टाचार मिटाने की प्रतिज्ञा बार-बार करती है फिर भी भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाती है। मैं सरकार से साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि जन-कल्याण के योजना के रुपये का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र, दक्षिण बहेड़ा की ओर ले जाना चाहती हूं। पिछले बारह वर्षों के अन्दर जो भी जन कल्याण की योजना इस क्षेत्र में शुरू की गई है उसमें से शायद एक भी पूरी नहीं हुई है। मैं उदाहरण के लिए कुछ योजनायें रखती हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में १९५५ ई० तथा १९६१ ई० के बीच में शुरू की गई थीं, उनमें से कुछ तो अभी तक शुरु भी नहीं की गई है और कुछ अधूरी पड़ी हुई है। स्कीम फाइनल कर रुपया हजम कर लिया गया है। जिसपर औडिटर-जेनरल ने एतराज किया है। वहां नहर का निर्माण हुआ ही नहीं है।

सन् १९५६ ई० में प्रखंड विकास बहेड़ी के सनखेरहा, हरिनगर, रमोली, बहेड़ी, परतापट्टी तथा अधारपुर के १५० गृहविहीन हरिजन परिवारों के गृह-निर्माण के लिए सरकार ने श्री राम औतार महतो को ठीकेदार बनाकर ३१ जुलाई १९५६ ई० तक काम पूरा करने का एग्रीमेंट लिखाकर लगभग पचासों हजार रुपया, साल, बल्ला और चदरा दे दिया था। अधिकांश स्थानों में काम शुरू भी नहीं किया गया था। सरकार ने अधूरे स्कीम को फाईनल कर दिया है और इस काम में सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हो गया है तथा हरिजनों की उजड़ी झोपड़ी भ्रष्टाचार की गवाही सदा देती रहेगी।

सन् १९६१ ई० में दरभंगा सिंचाई विभाग के ऑफिसर ने मिलकर सरकार के बिना मंजूरी के खरारी में नहर के नाम पर १७ हजार रुपया खर्च कर दिया था। जिसपर औडिटर-जेनरल ने एतराज किया है। वहां नहर का निर्माण हुआ ही नहीं है।

१९५५ ई० से खरारी ग्राम रक्षा एवं बांध रक्षा के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपया सरकार खर्च करती आ रही है। सरकारी रुपये कों बाढ़ के दिनों में पानी की तरह बहाया जाता है। आज तक सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता है। १९५३ ई० से रामअवतार महतो ने जिला अभियन्ता से गलत सर्टिफिकेट बनवाकर माल ढुलाई का नाजायज परिवहन शुल्क के रूप में लाखों रुपया बरामद कर लिया है। १९५५ ई० में सरकार ने एक विधान-सभा के सवाल पर सदन में जवाब दिया था कि वह नदी के माइलेज की जांच सिंचाई विभाग से कराने को तैयार नहीं है।

बहेड़ी सहयोग समिति को सरकारी माल गोदाम है जो खाली पड़ा हुआ है। स्टौकिस्ट तथा माल ढुलाई के नाजायज किराये के रूप में लाखों रुपया प्रतिवर्ष सरकार ठीकेदार को देती है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। माननीय सदस्या को मैंने लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति तो दे दी थी लेकिन देखते हैं कि उनका भाषण लम्बा होता जा रहा है।

श्रीमती कृष्णा देवी—अब बहुत थोड़ा है। १९५८ ई० में सरकार ने १९६१ तक काम पूरा करने का एग्रीमेंट लिखाकर सुड़हा से पिपराघाट तक सड़क निर्माण का काम ठीकेदार को दिया था। बहेड़ी से पिपरा तक अभीतक सड़क में काम शुरू भी नहीं हुआ है। शिक्षा भवन, ग्राम कचहरी, औषधालय, सड़क, मिलन मन्दिर तथा कूप निर्माण के नाम पर लोगों को रुपया एडवांस दिया गया है। सबका एग्रीमेंट खतम हो चुका है। अधिकांश काम शुरू भी नहीं किये गये हैं। ऐसे सभी लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। समाज अध्ययन केन्द्र, रात्रि पाठशाला, मनोरंजन केन्द्र आदि सब कागजों पर चल रहे हैं।

करेह, बांध निर्माण के कारण जिन लोगों का घर नदी में १९५६ ई० में पड़ गया था वे लोग गृहविहीन होकर मारे-मारे फिर रहे हैं। सरकार को मकान का मुआवजा देकर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करना चाहिए।

अन्त में मैं सिर्फ एक सुझाव कोईनीघाट में पुल निर्माण के लिए दे रही हूं। बिरौल थाना के सर्कल नं० २, ३ और ४ जिसमें ११ ग्राम पंचायतें हैं जिसकी जनसंख्या लगभग चालीस हजार है। थाना, प्रखंड विकास औफिस, रजिस्ट्री सदर मुकाम तक आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। इस पुल के निर्माण से समस्या का समाधान हो जायगा। स्थानीय लोग भी सरकार से हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। आशा है, सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि खरारी हाई स्कूल के बारे में कई बार उनके पास दर्खास्त दी कि वहां बारह वर्षों से मैनेजिंग कमिटी नहीं बन रही हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया लेकिन अभीतक इसपर कारंवाई नहीं की गई।

श्री पुनाई उरांव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल का विरोध करता

हुआ अपने इलाके की चन्द बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बोलने के पहले पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर एन० बी० गाडगिल ने प्रजातंत्र के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसको कह देना चाहता हूं।

> Democracy is not something which is chosen for the people but something which is their choice and where the State activities tend to make the rich the richer and poor poorer, democracy is not possible. Administrators must administer the country very efficiently with a mission to serve and not to rule the masses that constitute a democracy.

इस आधार पर हमें देखने से मालूम पड़ता है कि जितने सत्ताधिकारी लोग हैं वे पावर के भूखे हैं। यही कारण है कि सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारी दृष्टि में इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश को आजादी तो मिली, लेकिन सैकड़ों वर्षों से जो हमारा देश गुलाम था वह गुलामी हमारे दिल और दिमाग से नहीं जा रही है। हमारे अन्दर गुलामी की भावना अब भी मौजूद है। यही कारण है कि शासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं जातीयता का बोलबाला है। इसमें कोई सुधार नहीं लाया गया है। हमारी सरकार इस गुलामी की भावना को इतने दिनों के बाद भी दूर करने में असमर्थ रही है। यह भावना जबतक हमारे यहां काम करती रहेगी तबतक हमारा देश उन्नत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जबतक यह भावना हमारे देश में रहेगी हमलोग चीन का सामना करने में असमर्थ रहेंगे और इसी गुलामी की भावना के चलते हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है और उस हद तक उन्नति नहीं कर सका जितना होना चाहिए था। इसलिए इस गुलामी की भावना को दूर करना नितान्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, किसी देश की रक्षा विशेषतया दो बातों पर निर्भर करती है, एक है देश की आर्थिक स्थिति और दूसरा है लोगों का मनोबल। आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में मैं पीछे चलकर कहूंगा। अभी मैं जनता के मनोबल के सम्बन्ध में आपके सामने कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि अभी जो संकटकाल की स्थिति मंदा हो गई है यानी चीन ने जो हमारे

देश पर आक्रमण किया है उसमें सबसे आगे होनेवाली हमारी गरीब जनता है। लेकिन आज गरीब जनता के मोरल को गिराने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। संकट के नाम पर जो कर्ज की वसूली की जा रही है वह कठोरता की चरमसीमा पर पहुंच गयी है। आप देहातों में जाइये और लोगों से पूछने की कोशिश कीजिये तो पता चलेगा कि किस तरह कर्ज वसूल किया जा रहा है। रांची जिलान्तर्गत बिशुनपुर थाने में कर्ज वसूली के सम्बन्ध में वहां के ए०पी०ओ० साहब एक गांव में गये और गांव के लोगों को डंटे से पीटा और हथकड़ी देने की धमकी दी गयी। एक समय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों को कर्ज दिया गया लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस उत्पादन को बढ़ाने में रोकने का काम हो रहा है। अब लोगों को खेती के लिये लोन लेने की कैसे हिम्मत होगी? यहांतक कि जो हरिजनों और आदिवासियों के लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें से लोन के रुपये काट लिये जाते हैं। उसका मिसाल सिसई स्कूल है। वहां बहुत-से छात्रों का स्टाइपेंड के रुपये लोन के नाम से काट लिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस राज्य के जो धनीमानी व्यक्ति हैं और उनके यहां सरकार के काफी रुपये बाकी पड़े हैं लेकिन सरकार मुस्तैदी से कार्रवाई करने में हिचकती है। सरकार के पास ताकत है रुपये वसूल करने के लिए लेकिन वह वसूल नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं छोटानागपुर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा कि विगत वर्ष छोटानागपुर में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा हुआ है और जो कुछ भी पैदा हुआ था वह खत्म हो गया केवल चार आना पैदा हुआ था। सरकार इसको महसूस करते हुए भी छोटानागपुर के लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं सोचती है। इसके लिए सरकार के तरफ से कोई योजना नहीं बनाई गयी है और इससे मालूम होता है कि छोटानागपुर को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसी के कारण से हमारे बिहार के अन्दर नौर्थ और साउथ का झगड़ा है और यही कारण है कि आज छोटानागपुर में एक झारखंड पार्टी का निर्माण हुआ है। नौर्थ और साउथ का झगड़ा बहुत दिनों से चला आ रहा है और अब वह एक पार्टी का रूप धारण कर लिया है और अपने हक को लेने के लिए तैयार हो गया है। यह झगड़ा दूसरे प्रांत में नहीं है। इसको इसी प्रांत में देखा जाता है। इसका कारण है कि छोटा-नागपुर पिछड़ा हुआ है और आप उसको दबाकर रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं है कि छोटा-नागपुर के लोगों को जैसा चाहे वैसा रखे अब सब लोग अपने हक को समझने लगे हैं और इसको लेने के लिए तैयार हो गये हैं।

अब मैं सिचाई के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर में जितने भी स्कीम सिंचाई के लिए तैयार हुये हैं वे केवल नाममात्र के हैं। वहां जितने तालाब हैं और जितने बांध बनाये गये हैं वे सब गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। छोटानागपुर में एक एकड़ जमीन की भी सिंचाई इन बांध और तालाबों से नहीं होती है यानी एक बीता भी जमीन नहीं पटती है। अध्यक्ष महोदय, यदि उन तालाबों और बांधों के रहने वाले मेंढ़कों की जुबान होते तो यहां आते और वे अपना दुखड़ा सुनाते। हमलोग सुझाव देते हैं कि छोटानागपुर में बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां हैं यदि उनको बांध दिया जाय और पटवन का काम किया जाय तो बहुत अच्छा होता लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां बड़े-बड़े प्लान चल रहे हैं और बिजली के लिए कई एक डैम बनाये जा रहे हैं और इसके चलते हजारों एकड़ जमीन डूबने वाली है। बहुत-से लोग उस जमीन से हटाये जायेंगे और उनको दूसरी जगह पर बसाना पड़ेगा। यहां इस तरह से जमीन डूब

जायगी तो वहां हजारों मन धान की पैदावार घट जायगी। इसलिए वहां के लोगों को उठाने के पहले उनकी जिन्दगी और बसाने के लिए इन्तजाम करना पड़ेगा। अब मैं आपका ध्यान छोटानागपुर के इन्डस्ट्रीज की तरफ ले जाता हूं।

हम यहां देख रहे हैं कि एक तरफ छोटानागपुर में नयी-नयी इन्डस्ट्रीज बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ वहां के लोगों की हालत रिफ्युजी की तरह हो रही है। जो लोग इन्डस्ट्रीज के कारण विस्थापित हो रहे हैं उनको बसाने के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है और न उनको कोई नौकरी ही दी जाती है। इनके अधिकारियों का कहना है कि कारखाना के काम के लिए वे लोग योग्य नहीं हैं। तो मैं सरकार से यह पूछता हूं कि क्या दूसरे कोई जन्म से ही योग्य और ट्रेंड होते हैं? अगर आप छोटानागपुर के लोगों की उन्नति चाहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिये और टेकनिकल स्कूलों को खोलकर उन्हें उसमें ट्रेनिंग दीजिये और योग्य बनाइये। दूसरी बात यह है कि छोटा-नागपुर के अधिकतर लोग जंगल से अपना जीवन गुजर करते रहे हैं। उनके जीवन में जंगल का घनिष्ट सम्बन्ध है लेकिन अब सरकार के अधिकारी उनको अच्छी तरह जीवन व्यतीत करने नहीं देते। खतियान पार्ट २ के अनुसार जिन लोगों का जंगल में रेकोर्डेड राइट्स हैं उसपर भी सरकार कब्जा कर ली है। खेती के लायक जो जमीन हैं उसको डिमार्केट करके जंगल में ले लिया गया है और जो लोग उसमें खेती करते हैं उनपर मुकदमा चलाया जाता है। इससे वहां की जनता बहुत क्षुब्ध है। घर बनाने के लिए, या शादी-व्याह में अगर उन्हें लकड़ी की जरूरत होती है तो उसके लिए परमिशन लेना होता है। १०-१५ दिनों तक अफसरों का खुशामद करने पर और उनके पास दौड़ते रहने पर भी अगर कोई पैसा नहीं दे सकता है तो उसको परमिशन नहीं मिलता। इसलिए मैंने इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं छोटानागपुर में दो तरह के स्कूल वहां चल रहे हैं। एक तो सरकारी हैं और दूसरे गैर-सरकारी। जो स्कूल १०-१५ साल से चल रहे हैं उनके साथ होड़ के लिए सरकारी स्कूलों को खोल दिया जाता है और उन स्कूलों को दबाने के लिए न उसका रिकगनिशन किया जाता है और न उसको युनिट दिया जाता है। इसलिए सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि जहां-कहीं भी पुराने स्कूल चल रहे हैं उनको रिकौगनिशन दिया जाय और युनिट दे दिया जाय। इससे वहां के लोगों को शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा।

हमारा यह भी कहना है कि हरिजन, पिछड़ी जाति और आदिबासियों की भलाई के लिए सरकार को लेबर कमीशन की सिफारिश को इम्पलीमेंट करना चाहिए।

*श्री समीनुद्दीन—अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल की ताईद करता हूं। और

इस ताईद के सिलसिले में मैं यह कह देना काफी समझता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल की तमाम मांगों पर बहुत बहस हो चुकी हैं और तमाम मोतालिबास मंजूर किये जा चुके हैं। प्रजातंत्र के अन्दर जो मरहला है उसको देखते हुए यह हरशख्स के लिए लाजिमी है कि इसको पास किया जाय। बहरहाल, मैं आपके सामने एक चीज पेश करना चाहता हूं कि हुकूमत दो तरह की होती है, एक तो शहनशाहियत और दूसरा प्रजातंत्र। इनकी परिभाषा जहांतक मैं समझता हूं इस तरह है कि शहनशाहियत वह चीज है जो ऊपर से फर्मान के रूप में या हुक्म के रूप में नीचे आती है और सारे लोग उसको करते हैं और प्रजातंत्र वह है जो नीचे के लोग ऊपर भेजकर बादशाहियत करते हैं। इसी कसौटी पर इनकी जांच होती है। राम राज्य और समाजवादी समाज बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन अमल जैसा किया जाता है उसी से समझा जा सकता है कि आज जो चीज

हो रही है वह ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है। तीसरे पञ्चसाला मन्सूबा में जो लिस्ट सड़कों की अभी-अभी दी गयी वह इस तरह है :—

	मील।
पटना	११२
गया	१२२
मुजफ्फरपुर	२४३
दरभंगा	७००
चम्पारण	१७७
मंगेर	१६८
सथाल परगना	२५२
पूर्णिया	२७६
सहरसा	१३४
रांची	१३१
हजारीबाग	१५०
पलामू	६७
सिंहभूम	४७८
भागलपुर सिर्फ	३७

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना यह चाहता हूँ कि समिति जिस स्कीम की सिफारिश करेगी उसी के मुताबिक सरकार मंजूर करेगी। मुझको याद है कि १३० मील की सिफारिश भागलपुर की समिति ने दिया था और हमलोगों ने आपस में तय कर लिया था कहां-कहां जरूरी सड़कें हैं जिनको लिया जाय। मगर आज मैं देखता यह हूँ कि सिर्फ ३७ मील की ही मंजूरी दी गयी है। इससे पता चलता है कि ऊपर से बातें नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जातीं और इसी को शाहनशाहियत कहते हैं।

अध्यक्ष—शांति। दरभंगे जिले के मुकाबिले में, जहां सबसे ज्यादा मील सड़कों की बात है, भागलपुर जिले का रकबा और आबादी मालूम है?

श्री समीनुद्दीन—जी हां, उसका आधा, सहरसा मिलाकर। हमको कहना यह है कि ३७ मील फैसला करके दिया गया जब हमने १३० मील की सिफारिश की।

श्री एकनारायण चौधरी—मैं समझता हूँ सदस्य को एक भ्रम हो गया है। ७०० नहीं ३०२ मील है।

श्री समीनुद्दीन—दरभंगा से मैं कोई मुकाबिला भी नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हर थाने को सबडिवीजन और जिला हेडक्वार्टर्स से मिलाने की बात थी। हमारे थाने में एक भी पक्की सड़क नहीं है और इस तरह से उस थाने को न सबडिवीजन से मिलाया गया है और न जिला के सदर मुकाम से ही। सरकार की पालिसी है कि हरेक थाने को सबडिवीजनल और जिला के हेडक्वार्टर्स से मिलाना है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे थाने में इस पॉलिसी को अमल दरामद में नहीं लाया गया है। सारी चीजें ऊपर से टपकायी जाती हैं। इस तरह से हरेक जिले में प्लैनिंग कमिटी है और कहा जाता है कि जो वहां पर तय होगा वही होगा लेकिन वहां से सड़क की लिस्ट कुछ पास होती है और जिलाधीश के आफिस से कुछ और लिस्ट निकलती है। प्रजातंत्र

में तो जो जनता चाहती है वही चीज होनी चाहिए लेकिन अभी तो शाहंशाही में जिस तरह से कारबार होता है वही हो रहा है। सारी चीजें ऊपर से टपकायी जाती हैं।

अभी आजादी होने के बाद से मुसलमानों के त्योहार के लिए जितनी छुट्टियां होती थीं उनमें कटौती कर दी गयी हैं। मुसलमानों का ईद सबसे बड़ा त्योहार है और उसमें महीनों भूखे रहना पड़ता है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। भूखा नहीं रहते हैं बल्कि एक शाम खाना खाकर रहते हैं।

श्री समीनुद्दीन—अच्छी बात है। अंगरेजों के जमाने में इसके लिये तीन रोज की छुट्टी मिलती थी लेकिन अब दो रोज की छुट्टी मिलती है। इसी तरह से बकरीद के लिए अंगरेजों के जमाने में जहां पर चार रोज की छुट्टी मिलती थी वहां पर अब दो रोज की छुट्टी मिलती है। मुहर्रम के लिए पांच रोज की छुट्टी मिलती थी उसे काट कर २ रोज कर दिया गया। सभी चीजें ऊपर से की गयी हैं। अगर नीचे से राय ली जाती और जनता से राय ली जाती तो जरूर यह होता है कि प्रजातंत्र के जमाने में छुट्टी को और बढ़ाया जाय। अभी तो ऐसा होता है कि अफसर लोग इस तरह के मौके पर घर भी नहीं पहुंच सकते हैं और त्योहार करने से बाज आते हैं। इसका असर उनके दिल पर पड़ता है और उनके समाज पर पड़ता है।

श्री जनार्दन तिवारी—होली के लिए कितने दिनों की छुट्टी मिलती है?

श्री समीनुद्दीन—उसके लिए चार रोज की छुट्टी मिलती है।

अब मुझे कुछ उर्दू के सिलसिले में कहना है। अभी सरकार की तरफ से उर्दू पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन जिस ढंग से खर्च होता है उससे उर्दू पढ़नेवाले लड़कों को फायदा नहीं होता है। जहां पर मखतब है वहां पर हिन्दी के टीचर भेज दिये जाते हैं और जहां पर हिन्दी स्कूल है वहां पर उर्दू के टीचर भेज दिये जाते हैं। इसका असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है और तालीम पर भी पड़ता है। हमारे यहां सहरसा में नवाब साहब का मखतब है लेकिन वहां पर हिन्दी टीचर भेज दिया गया। इसके लिए दर्खास्त दिये आज छः महीने हो गये लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। इस ओर सरकार का ध्यान जल्द जाना चाहिए।

इसके बाद हमारे क्षेत्र में जामिन के पूर्वी कटाव के लिए वाटरवेज की तरफ से एक स्कीम ली गयी लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। इसके चलते वहां के किनारे के इलाके में बालू भर जाता है। सरकार का इरादा है कि ज्यादा-से-ज्यादा गल्ला पैदा हो लेकिन इस तरह से काम को बन्द कर देने से तो वह पूरा नहीं होगा। इस तरह से सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुशहाल हैं और खास कर बांका सबडिवीजन के लोग खुशहाल हैं। और मैं भी कहूंगा कि वहां के लोग बहुत खुशहाल हैं क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल के लोग ऐसा कहते हैं लेकिन वाक्इ बात यह है कि न वहां पर एक सड़क बनी है और न कोई सिंचाई की स्कीम कामयाब हुई हैं। लड़कों की पढ़ाई का भी कोई खास इंतजाम नहीं। कहने के लिये बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन असली माने में कुछ काम नहीं हुआ है।

यकीनन मैं एक लाख इंसान का रिप्रेजेन्टेटिव हूं। लेकिन असल बात यह है कि शायरी की जाती है कि मैं इसलिए खुश हूं कि वहां के लड़के ठीक उसी तरीके पर

जलते हैं जस तरह आपके यू०पी० के मदरसा से लड़के निकलते हैं या शांतिनिकेतन के लड़के निकलते हैं। मगर हमारे मित्रों का खयाल है कि साइंस कालेज के भी लड़के निकलें। मगर हमारे नजरीये में और उनके नजरीये में फर्क है इसलिए वे कहते हैं कि लोग खुश नहीं हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लोग खुश हैं।

इन बातों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

*श्री तुलसी दास मेहता—अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बिल पेश है मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं कि सरकार की तीसरी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो रही है लेकिन इस देश में बेकारी, गरीबी, भुखमरी, जातीयता, ये सब जो रोग हैं ये घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। वत्तमान मंत्रिमंडल जब बना तो उस समय मुख्य मंत्री की ओर से घोषणा की गई थी कि इस राज्य से बेकारी दूर करेंगे, जातीयता खत्म करेंगे, भुखमरी मिटायेंगे। लेकिन इन रोगों के घटने के बजाय ये और बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि मंत्रिमंडल को केवल इस बात के लिए ही इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस बात का वादा उन्होंने जनता के सामने किया था, प्रतिज्ञा की थी वह पूरी नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं बेकारी के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या ५ लाख थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेकारों की संख्या ८.३६ लाख थी और तीसरी योजना में जब १६.९ लाख काम करनेवाले बढ़ जायेंगे तब बेकारी की संख्या करीब २५ लाख हो जायेगी और काम मिलेगा ९.७२ लाख को। इस तरह से तीसरी योजना खत्म हो जाने पर करीब १५-१६ लाख बेकारों की फौज बनी रहेगी।

कृषि योजना खत्म होने के बाद १५-१६ लाख बेकारों की फौज बनी रहेगी। इस तरह से देखने से पता चलता है कि सरकार आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रही है। यह तो सरकारी आंकड़ा है जिसका हवाला मैंने दिया मगर ऐसे मेरा अनुमान है कि एक करोड़ आदमी इस राज्य में बेकार हैं। देहात में जो किसान हैं वह साल में कम-से-कम छः महीना बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो छः महीना वह बेकार रहता है। इस तरह से आप देखेंगे तो एक करोड़ आदमी बेकार हैं।

बेकारी का एक कारण यह है कि हमारे किसान के पास खेती करने के लिए साधन नहीं है। एक तरफ खेत बेकार पड़ा रहता है और दूसरी तरफ आबाद करने के साधन के अभाव में लोग बेकार रहते हैं।

बेकारी का दूसरा कारण यह है कि सरकार उद्योग में जो पैसा खर्च करती है उसके पीछे कोई ठोस योजना नहीं रहती है। बड़े-बड़े उद्योगों में काफी पैसे लगाये जाते हैं और छोटे-छोटे उद्योग में कम पैसा लगाया जाता है। जिस उद्योग में मशीनरी और बिजली से काम किया जाता है उसमें अधिक पैसा लगाया जाता है और जिस उद्योग में हाथ से काम करना रहता है उसमें कम पैसा खर्च होता है। इंडस्ट्रीयल लोन भी लाखपति या करोड़पति को ही दिया जाता है, न कि साधारण आदमी को। इस नीति से लाखपति करोड़पति बनता है और करोड़पति अरबपति बनता है।

अध्यक्ष महोदय, बेकारी का तीसरा कारण यह है कि पूंजी का केन्द्रीयकरण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ पूंजी का केन्द्रीयकरण जोर से हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार के सामने आपके माध्यम से कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं जिससे साफ मालूम होगा कि पूंजी का केन्द्रीयकरण

कैसे हो रहा है। ताता के पास २९० करोड़ पूंजी है, बिरला के पास २९२ करोड़, मफतलाल के पास २३ करोड़, वालचन्द के पास २० करोड़, महिन्दा के पास २४ करोड़ और डालमिया जैन के पास ५० करोड़ और मार्टिन बर्न के पास ८८ करोड़ पूंजी है। इस तरह से ७८७ करोड़ रुपया इन कई परिवारों में है। सारे देश में २८,००० कम्पनी हैं जिसकी पूंजी २,८०० करोड़ है। यह सम्पत्ति केवल सात परिवारों में सिमटा हुआ है जो सारे हिन्दुस्तान की लगी हुई पूंजी का ३५ प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि एक-एक परिवार के लोग २०-२० कम्पनी में डाईरेक्टर हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूं :

सिंहानियां परिवार १०७ कम्पनी के डाईरेक्टर हैं, डालमिया परिवार के लोग १०३ कम्पनी के, रुइया परिवार ८० कम्पनी के, बिड़ला १० कम्पनी के, गोयनका परिवार ५५ कम्पनी के, पोद्दार परिवार ५५ कम्पनी के, बांगुर परिवार ५२ कम्पनी के, जाटिया ब्रदर्स ५१ कम्पनी के, थापर परिवार ३५ कम्पनी के और टाटा परिवार २१ कम्पनी के डाईरेक्टर हैं। इसमें बहुत-से डाईरेक्टर के पद ऐसे हैं जो केवल नाम के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय इतना बड़ा केन्द्रीयकरण से जनतन्त्रिक समाज क स्थापना कैसे हो सकती है। गांव में पूंजी का विकेन्द्रीयकरण होना आवश्यक है। जब तक पूंजी गांव की तरफ नहीं जायगी बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जातपात की भावना जितनी भरी हुई है शायद और किसी प्रदेश में उतना नहीं होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नवम्बर के महीने में हमारे यहां एक मेला लगता है। उस मेले का ठीका एक आदमी को दिया गया और उसने किसानों से काफी पैसा वसूला। जबतक मेला था मंत्रिमडल के सदस्य सर्किट हाउस में जमे रहे और सरकारी अफसरों पर प्रभाव डालकर लोगों से जबर्दस्ती पैसा वसूला गया। इस सम्बन्ध में एक रसीद डी०एम० को सुपुर्द किया गया था मगर पता नहीं क्यों उसे बाद में दबा दिया गया। सुनने में आता है कि किसी मंत्री के सम्बन्धी होने के नाते इस चीज पर पर्दा डलवाया गया।

अध्यक्ष महोदय, हाजीपुर सबडिवीजन में घूसखोरी इतनी जोर से है कि शायद ही और कोई सबडिवीजन होगा जहां इतनी जोर से घूसखोरी चलती होगी। दिन-दहाड़े वहां के सेकेन्ड और थर्ड आफिसर पैसा लेकर मुकदमों में फैसला लिखते हैं। आप सी०आई०डी० लगाकर इस बात की जांच करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज गरीबों पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। मालगुजारी भी बढ़ती जा रही है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक ओर हम उसके उत्पादन में सहायता नहीं दे रहे हैं और दूसरी ओर मालगुजारी बढ़ा रहे हैं। होना यह चाहिए था कि जिसके पास १॥ एकड़ से जमीन कम है उससे मालगुजारी न ली जाय।

आखिर में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि १५ वर्ष आजाद होने के बाद आज भी हिन्दी को अपनाने में प्रगति नहीं हो रही है। सारे देश में एकता लाने के लिए हिन्दी को अपनाना बहुत जरूरी है। यहां सिर्फ हिन्दी लाने का सवाल नहीं है, बल्कि अंग्रेजी हटाने का सवाल भी है। बिहार प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष महोदय का जो भाषण हुआ था उसका एक अंश मैं यहां उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता हूं :

> "हिन्दी की अपनी विशेषता के कारण ही अहिन्दी भाषी-मनीषियों ने उसे राष्ट्र-भाषा के आसन पर पहुंचाया। हिन्दी किसी पर न लादी गयी और न लादी जा रही है। लादी तो अंग्रेजी गयी। अंग्रेजी को सखी राष्ट्र भाषा

बनाकर हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान का सौन्दर्य नष्ट करेंगे। हिन्दी भाषी राज्यों में सारा काम-काज हिन्दी में किये जाने के लिए आवश्यक हो तो आंदोलन भी किया जा सकता है।"

इसके बाद मैं गांधी जी का हिन्दी के विषय पर क्या कहना था वह भी पढ़ देना चाहता हूं :

"यदि मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिये अपने लड़के और लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूं। या उन्हें बर्खास्त कर दूं। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नहीं करूंगा। वे तो माध्यम के परिवर्त्तन से पीछे-पीछे चली आयेंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि मातृभाषा के जरिये टेकनिकल तालीम देने के लिए बड़ी तैयारी और बड़ी खोज की जरूरत होगी। जो ये दलील पेश करते हैं, वे नहीं जानते कि हमारे गांवों की बोलियां, हर तरह की बातों को समझाने वाले शब्दों और मुहावरों से भरी हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांधी जी के जो अनुयायी हैं, जो देशभक्त कहे जाते हैं, जो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि चूंके आप अंग्रेजी का विरोध करते हैं इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। यह निरा अन्याय है। जो हिन्दी के विरोधी हैं और अंग्रेजी को सहायक भाषा माने जाने की कोशिश करते वे देशद्रोही हैं और एकता को तोड़नेवाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्रीमती लीला देवी—अध्यक्ष महोदय, पता नहीं हम सदस्यगण घठाहे हो गये हैं

या हमारी सरकार घठाही हो गयी है। हर बार बजट में वादविवाद के अवसर पर तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर मत देते समय माननीय सदस्यगण अपना गम्भीर विचार प्रगट करते हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब बातें सरकार को मान ही लेनी चाहिए पर यह भी तो मानने की बात नहीं है कि जितनी बातें सदस्यगण कहते हैं उनमें एक भी बात सरकार को मान्य नहीं हो। ऐसा लगता है कि सरकार बजट पेश करती है और उसे केवल पास करा लेना ही अपना कर्त्तव्य मान बैठी है। मैं समझती हूं कि सरकार के लिए उचित है कि जो सदस्य कांग्रेस पार्टी के हों या विरोधी दल के यदि वे अच्छी बातें बतावें तो सरकार उसपर गंभीरतापूर्वक विचार करे और उचित कारवाई करे। परन्तु सरकार तो केवल एक ही बात मानना जानती है जो बात उसके उच्च पदों पर स्थित अफसर बताते हैं। दूसरी बात यह है जिस ओर मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहती हूं वह है जिला परिषद् एवं पंचायत समिति। कानून पास हो जाने के बाद भी सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। केन्द्रीय मंत्री, एस० के० डे साहब ने भी सरकार को सलाह दी है कि इसे शीघ्र लागू कर देना चाहिए और बिहार राज्य भर में स्पेशल अफसरों के द्वारा जो कार्य संचालन हो रहा है उससे लोगों में क्षोभ है। मैं जब भी सुनती हूं कि बिहार मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि केवल पटना, रांची, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में लागू करेगी लेकिन जब सरकार यह समझने लगी है कि स्पेशल अफसर के कार्यकलाप से लोग असंतुष्ट हैं तो फिर क्यों शेष अन्य जिलों में इस कानून को लागू करने नहीं जा रही है। मैं सरकार से आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के कानून को बिहार के सभी जिलाओं में लागू कर देंगे। मैं समझती हूं कि

सभी जिलों के चुनाव कराने में सरकार को पर्याप्त रकम खर्च करनी होगी पर यह भी तो मानी हुई बात है कि प्रजातंत्र प्रणाली खर्चीली प्रणाली है और हमें प्रजातंत्रवाद से भागना नहीं है तो खर्च करना ही होगा।

तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जैसाकि एस० के० डे साहब का विचार है, और-और प्रांतों में भी यह चालू है कि विकास एवं कर वसूली का कार्य एक अफसर नहीं करे। बहुत अफसरों की संख्या बढ़ जाने का भय हो तो दो ब्लौकों को मिलाकर एक अंचलाधिकारी और एक बी०डी०ओ० से काम चलाया जा सकता है पर इन दोनों कामों को पृथक तो कर ही देना चाहिए। एक और आवश्यक बात यह है कि लोगों में एक आम धारणा बनने लग गयी है। सरकार उनकी जान-माल की रक्षा नहीं कर पा रही है। यह विश्वास तो बड़ा ही घातक है। इसपर सरकार को एक मजबूत कदम उठाना चाहिए पर और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए कि हर नागरिक ऐसा समझे कि सरकार के हाथ में उसकी जान और माल सुरक्षित है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि आपने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

*श्रीमती शांति देवी—माननीय अध्यक्ष महोदय, देश पर संकट के कारण हम सदस्य

बहुत-सी बातों पर प्रकाश नहीं डालते हैं। मैं अपने क्षेत्र मोहिउद्दीन नगर और बगल के इलाके की वर्त्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डाल रही हूं।

इधर दो-तीन वर्षों से मोहिउद्दीननगर एवं महनार थाने में डाकुओं का दल सक्रिय हो गया है। महनार सड़क पर दो-दो बार सशस्त्र डकैती हुई है। अभी २० फरवरी १९६३ की रात में मोहिउद्दीननगर थाने के बगल में दशहरा ग्राम में, भीषण डकैती हुई। करीब २५ हजार की सम्पत्ति लूट ली गयी। रात ८ बजे तक दारोगा थाने पर था किंतु डकैती के समय जब आदमी थाने पर गया तो अकेला मुंशी था, एक भी पुलिस नहीं और कोई मदद नहीं पहुंच सकी हालांकि डकैती थाने के बगल में हुई। यहां के लोगों का कहना है कि दारोगा का भी हाथ था इस डकैती में और नामी डकैत थाने पर जाकर उस दिन दारोगा जी से दो बार मिला भी था।

थाने के बगल के गांव चापर में रामानुज सिंह की हत्या हुई और लोगों ने उसकी लाश लापता कर दी लेकिन पुलिस को कोई गंध नहीं मिल सकी। दारोगा इतना निष्क्रिय और भ्रष्ट है कि किसी भी सूचना पर उस समय तक चुप रहता है जबतक घटना भीषण न हो जाय और उसे पूर्ण आमदनी का साधन न मिल जाय।

हमारी सीमा पर खतरा है। रेल और सड़क की यातायात पूर्ण सुदृढ़ रहनी चाहिए। यह सही है कि गंगा पर राजेन्द्र पुल का निर्माण हो जाने से उत्तर बिहार का संबंध मजबूत हो गया है किंतु जबतक महनार-मोहिउद्दीननगर-बछवारा सड़क पर राजघाट पर पुल नहीं बन जाता है युद्ध की दृष्टि से आसाम-पंजाब सड़क का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जब नेफा पर शत्रु का जमाव था युद्ध की सारी सामग्रियां हाजीपुर-बछवारा-बरौनी होकर ही सीधे नेफा जाती थी और हमारे घायल जवान भी इसी रास्ते लौटते थे। अगर राजघाट पर पुल का निर्माण हो गया होता जो १९५७ में ही होनेवाला था तो ट्रक और जीप द्वारा भी हमारा काम सोनपुर-बरौनी होकर तेजी से चलता। मैंने गत सत्र में प्रश्न किया तो जवाब मिला था कि शीघ्र पुल निर्माण करने का आर्डर दे दिया गया है लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं देख रही हूं।

करीब १५ लाख रुपये की लागत पर लालगंज, हाजीपुर, महनार, मोहिउद्दीननगर तक बेलवारी मीरजान नाला सिरिज तैयार किया गया किंतु मोहिउद्दीननगर थाने के

चकसाहो स्थान पर बाया नदी में जहां यह नाला गिरता है स्लूईश गेट और बांध के अभाव में वहां की जनता इससे तबाह और बर्बाद हो रही है। कई मील में तटबन्ध का काम पूरा नहीं हुआ है। इसका फल यह होता है कि महनार थाने का पूर्वी भाग ताजपुर थाने का दक्षिणी भाग और मोहिउद्दीननगर थाने का पश्चिमी भाग करीब लाखों एकड़ की फसल से प्रति वर्ष हाथ धो लेता है। मेरा सुझाव है कि मीरजान नाला के मुंह पर बाया नदी के किनारे पर बांध और स्लूईश गेट का अविलम्ब निर्माण कर दिया जाय। धमौन आदि गांवों में तटबन्ध का काम पूरा कर दिया जाय। धमौन के सामने चकरार पर सिंचाई विभाग द्वारा नाला पर पुल अवश्य बना दिया जाय। चकसाहो घाट पर बांध और स्लूईश गेट इसलिए और भी अधिक महत्व रखता है कि गंगा का पानी भी उल्टा प्रवेश कर लाखों एकड़ की फसल नष्ट कर देता है।

युनिवर्सिटियों के वाइस-चांसलरों को कालेजों का मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है वह जनहित की भावना पर ठेस पहुंचाता है। यह सर्वविदित है कि जितने भी कालेज आज बिहार में हैं अधिकांश लोगों के दान पर हैं और इस तरह उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया गया तो शिक्षा का क्षेत्र तो पीछे पड़ेगा ही............

अध्यक्ष—शांति, शांति। माननीय सदस्य कुमार गंगानन्द सिंह ने फ्लोर क्रौस किया है।

कुमार गंगानन्द सिंह—मुझे क्षमा किया जाय।

श्रीमती शांति देवी—उस तंत्र पर भी खतरा पहुंचेगा जिसके जरिये यह अधिकार कालेज के सदस्यों से छीनकर वाइस-चांसलर को दिया गया है। ई०आई०पी० से जो भवन निर्माण का सिलसिला है उसमें इतना भ्रष्टाचार फैला है कि वर्षों तक बौंड बना पड़ा रहता है और घूस के अभाव में न रुपये मिलते हैं न भवन निर्माण का काम ही पूरा होता है। मेरे क्षेत्र मोहिउद्दीननगर में चपड़ा, दशहरा, मोसिंगपुर आदि ऐसे अनेक ई०आई०पी० विद्यालय हैं जिनका बौंड वर्षों से पड़ा है लेकिन आजतक उसे रुपये नहीं मिले।

लोक-निर्माण विभाग के मंत्री से मेरा खास आग्रह है कि महनार मोहिउद्दीननगर बछवारा सड़क को जोड़कर धमौन-पटौरी सड़क बना दिया जाय। चूंकि करीब एक लाख जनता जो महनार थाने के पूर्वी भाग में और मोहिउद्दीननगर के पश्चिमी भाग में है इस सड़क के अभाव में साल के नौ महीने सुविधा के सभी साधनों से आवागमन के अभाव में वंचित रह जाती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाती हूं।

अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं। आज प्रजा समाजवादी दल के माननीय सदस्यगण अनुपस्थित हैं, उनकी एक सभा है।

*श्री वीरचन्द पटेल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिनों के बहस के सिलसिले में इस सदन के माननीय सदस्यों ने एप्रोप्रियेशन बिल पर भाषण देते समय ऐसी अनेक बातों का जिक्र किया है जिनका उत्तर ४५ मिनट से कम समय में देना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं प्रारम्भ में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितना सुझाव दिया है उनपर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। अभी तुरन्त माननीय सदस्या और उनके पूर्व

श्रीमती लीला देवी ने कहा है कि सरकार का काम शायद यही है कि बजट के अवसर पर बजट पास करा लेना और माननीय सदस्य जिन सुझावों को देते हैं उनकी उपेक्षा करना। मैं नम्रतापूर्वक सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी जनतांत्रिक सरकार का अस्तित्व असम्भव हो जायगा, उसकी बुनियाद हिल ही नहीं जायगी बल्कि उखड़ जायगी अगर जनतांत्रिक पद्धति की सबसे बड़ी संस्था जो विधान-सभा है उसमें बजट अधिवेशन में और खासकर एप्रोप्रियेशन बिल में दिये गये भाषणों की गम्भीरता और उनके सुझावों पर सरकार विचार नहीं करे।

इन बातों के कहने के पश्चात्, मैं सदन में जो बातें बजट के निर्माण के संबंध, इसके जेनरल ट्रेडिंग के संबंध में उठायी गयी है, उनका जवाब देना उचित समझता हूं। मेरा यह दावा है और मैं ऐसी बड़ी जवाबदेही के साथ दुहराना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता के ठोस आधार पर और किसी बजट की बुनियाद डाली जा सकती थी और किसी बजट को बनाया जा सकता था तो वह १९६३-६४ का बजट है जिस बजट को मैंने बिहार सरकार की तरफ से इस सदन में पेश किया है और जिस बजट पर हमारा यह ऐप्रोप्रिएशन बिल आधारित है। यह एक ठोस वास्तविकता की नींव पर खड़ी है न कि हवाई किले पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को एक आकर्षक रूप दिया जा सकता था किन्तु बजट के सिलसिले में मैं कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि और-और देशों में भी, जो सिलसिला चलता आ रहा है या अपने देश के ही और-और सूबों में जो सिलसिला चलता आ रहा है उसकी उपेक्षा संभव नहीं है। खैर, मैं उनके विषय में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अधिकतर राज्य सरकारों ने घाटे का बजट पेश किया है और अपने घाटे को अनकोभर्ड छोड़ दिया है। और उसकी जवाबदेही छोड़ दी गयी है या तो केन्द्रीय सरकार पर या अपने रिसोर्सेज पर। यह तो उनके हाथ की बात है और यह मेरे लिये भी आसान था कि किसी योजना को हम बिना काटे २ अरब से अधिक का बजट बना देते। तो दो-तीन टैक्सेशन के प्रपोजल का भी जिक्र था जिसका वर्णन अगर हम अपने बजट में देते तो ८, ९ करोड़ रुपये का डिफिसिट बताते लेकिन वह तो हमें न तो जमीन पर रहने देती और न आकाश पर जाने देती, तो हम कहां रहते इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जो हमने १९६३-६४ का बजट पेश किया है, इसके वित्तीय साधनों की उपलब्धि के लिये हमें काफी मिहनत करनी पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात पर असंतोष प्रकट किया है कि हमने तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में ७१ करोड़ का प्लान काटकर केवल ५० करोड़ का क्यों बनाया। यह बात सही है कि एक विकसित देश की जनता के लिये यह असंतोष की बात है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि यह किसी भी सरकार के लिये, और किसी भी वित्त मंत्री के लिये असंतोष की बात हो सकती है किन्तु हमने अपने इन्कम को देखते हुए लाचारी की अवस्था में २० करोड़ रुपये की कटौती की है। जिस तरह से तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में अर्थात् १९६३-६४ का बजट ५० करोड़ रुपये के घाटे के साथ हमारा वित्तीय कार्य आरम्भ होता है, इससे मुझे भी दुःख होता है। यहां के वित्तीय परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिये यह आवश्यक है कि किसी भी तरह से जो उप-लब्धी हमें है या भविष्य में हो सकती है उसका नजरअन्दाज करके हम आगे बढ़ें। साथ ही मैं सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार गवर्नमेन्ट का यह दृढ़ संकल्प है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अधिक से अधिक साधन जुटाने की कोशिश करे और इसके चौथे और पांचवें साल में और हो सके तो

१९६३-६४ साल के कुछ समय बीतने के बाद अगर हमारी वित्तीय परिस्थिति में कुछ सुधार आ जाता है तो हम इस योजना को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सरकार का यह फर्म डिटरमिनेशन है कि हम ३३७ करोड़ की योजना को कार्यान्वित करने के लिये सन् १९६३-६४ साल में एक ठोस आधार पर हम अपने वित्तीय स्थिति को खड़ा करना चाहते हैं। मैं आंकड़ों में या बहुत हिसाब में ले जाने में, जिन खास और ठोस बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं उसको ठीक से सदन के सामने रखने में असमर्थ रहूंगा। इसलिये मैं कम से कम आंकड़ों को आपके सामने रखने में विवश हूं। हमने ३३७ करोड़ की योजना का जो निर्माण किया और जिस योजना की अनुमति इस सदन से प्राप्त है, उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो? अध्यक्ष महोदय, ३३७ करोड़ की योजनाओं में जिस तरह का पैटर्न है, स्टेट गवर्नमेन्ट को कितना वित्तीय साधन होना चाहिये था और सेन्टर से कितना मिलता यह देखने की बात है। इन सारी योजनाओं को अगर हम कार्यान्वित करना चाहते हैं तो यह साधारण बात है कि हमें ११९ करोड़ की उपलब्धि होनी चाहिये, इतने साधन जुटाने पड़ेंगे पूरे तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में। उस पूरी अवधि में, हमलोगों ने जो हिसाब किया उसमें था कि ननप्लान्ड रेवेन्यू बजट से जो हमारा कर्ज है २२ करोड़ वह बचायेंगे। बाजार से हम ऋण लेंगे २३ करोड़ और हमलोगों का हिस्सा स्मौल सेविंग से आयेगा ४२.५० करोड़, स्टेट अन्डरटेकिंग्स का कन्ट्रीब्युशन १६ करोड़ और पब्लिक एकाउन्ट्स में हमारा सरप्लस ८ करोड़ रुपया, यह कुल मिला कर १११.५० करोड़ आता है लेकिन इसमें क्या हुआ, हमलोगों ने जो अपना कैपिटल बजट आफ एक्सपेन्डिचर जो पहले कर्ज की अदायेगी के लिये हमारा होगा उसमें ३४ करोड़ रुपये का हमारा खर्च बढ़ जाता है इसलिये भिन्न-भिन्न मदों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमारी पूरी उपलब्धि ७७.५ करोड़ हुई। इस तरह आप देखेंगे कि योजना में ४१ करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। तो इसके लिये इन्तजाम करना पड़ेगा। देखना होगा कि स्टेट के सामने कौन-से साधन हैं। इस सिल-सिले में मैं अपने माननीय मित्र और सदस्य श्री सुनील मुखर्जी के भाषण की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में जिस भाषण को मैंने दिल से पसन्द किया भले ही उनकी और हमारी राय न मिलती हो लेकिन भाषण में जो बातें कहीं गयी हैं उनका उल्लेख करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं क्योंकि उन्होंने कई ठोस सुझाव सदन के सामने दिये हैं। उनका पहला चार्ज हमारी सरकार के ऊपर है कि यह सरकार गरीबों की उपेक्षा करके और अमीरों के हितों को दृष्टिकोण में रख कर चलती है और वित्तीय संकट का सबसे बड़ा कारण उन्होंने बत-लाया कि हमारी नीति उनकी समझ में रिच ओरिएंटेड है और यही हमारे वित्तीय साधनों की उपलब्धि के मुख्य कारण हैं। मैं बड़ी उत्सुकता से इन्तजार कर रहा था कि इतना बड़ा अभियोग ऐसी सरकार पर लगाया जाय जो जनतांत्रिक सरकार हो जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज के निर्माण का हो तो यह उद्देश्य कहां तक रह सकता है?

विरोधी दल के कुछ सदस्य—वह तो है ही।

श्री वीरचन्द पटेल—ठीक है, मैं इस "है ही" की उम्मीद कर रहा था लेकिन

एक दो ठोस तर्क इस सम्बन्ध में दिये जाते तो मैं समझता लेकिन इसकी कमी उनके भाषण में रही। यह ठीक है जब मैं तीन बजे आया तो हमारे कांग्रेस दल के एक सदस्य बहुत जोर से भाषण दे रहे थे। मैं यह कहता हूं कि इस प्रान्त के बजट की तो क्या,

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जो बजट पेश किया है और जिसके आधार पर हमारा बजट भी पेश है उसका सपोर्ट हिन्दुस्तान के एक भी कैपिटलिस्ट पेपर ने नहीं किया है और हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरी छोर तक पूंजीपति आज कराह उठे हैं।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—इस बजट से तो गरीब लोग खुश हो गये होंगे ?

श्री वीरचन्द पटेल—इसका जवाब मैं पीछे दूंगा। श्री सुनील मुखर्जी के अभियोग के पक्ष में मैंने कोई उनसे तर्क नहीं सुना। सुन्दर भाषण है, उन्होंने अपने भाषण में बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है, भाषण की शब्दावली बहुत पसन्द आयी। उनके भाषण के तरीके मुझे बहुत पसन्द आये और उनका चार्ज भी मुझे मीठा लगा। काश, कि वे सही हों। उसमें हमको कोई भी दलील या तथ्य नहीं मिला है। मैं इस बात का दावा करना चाहता हूं कि अगर हमारी सारी योजनाएं या तीसरी पंचवर्षीय योजना या हमारी सारी नीति इस बात पर आधारित है तो उसकी बुनियाद सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना और उस तरीके से आगे बढ़ने का ठोस कदम है और जिस दिन यह सरकार, जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं जिस दिन सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी या समाजवादी उद्देश्य से अलग हो जायगी तो शायद इतना बड़ा देश अनडेवलप कंट्री, में कोई सरकार जनतांत्रिक पद्धति पर नहीं रह सकती है, जो किसी दूसरे समाजवादी उद्देश्य को लेकर चले। यह ठीक है कि हमारा रास्ता अलग है और हम किसी मिलिटरी फोर्स के जरिये या मिलिटरी माइट के अन्दर ऐसा नहीं करना चाहते हैं। डिमोक्रेसी की सच्चाई तो जनतांत्रिक पद्धति पर चलकर समाज की रक्षा करते हुए सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी लाना है जो संसार के लिये नया मार्ग प्रदर्शन करे। उन्होंने वित्तीय साधन बढ़ाने के बारे में जिक्र किया है और कहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में सुधार होना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि एग्रीकल्चरल टैक्स में जमीन्दारी एबोलुशन के बाद हमारी आमदनी में कमी हुई है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का जो वास्तविक रूप है उसको सामने रखते हुए अगर आप हमें कोई रास्ता बतलावें तो हम उसको मानने को तैयार हैं लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न को खतम करके, जनतांत्रिक तरीके को खतम करके कोई काम करने को हम तैयार नहीं हैं। इसमें हमारा आपसे मतभेद है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—कम्युनिस्ट साम्यवाद और आपके समाजवाद में क्या फर्क है ?

श्री वीरचन्द पटेल—इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे मित्र श्री चन्द्रशेखर सिंह दे सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जितनी रौशनी वह डाल सकते हैं उतनी हम नहीं डाल सकते हैं। इसलिये उन्होंने जो कहा है उसके संबंध में मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स में सुधार लाने के तरीके में अगले साल कोई उपाय करूं। जिससे हमारा वित्तीय साधन बढ़े इसके लिये हम कोशिश करेंगे। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स के द्वारा हमारी वित्तीय साधन में जितना हिस्सा होना चाहिये उतना नहीं हो पाया है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—आगे रहेगा ?

श्री बिनोदानन्द झा—आगे रहेगा यदि जमीन के मालिक जमीन को तोड़-फोड़ नहीं करें और जमीन को बेच बाचकर खतम नहीं कर दें।

श्री वीरचन्द पटेल—इस संबंध में शकूर साहब ने भी एक अच्छा सुझाव दिया है। वे एक अच्छे ऐग्रिकल्चरिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, उसको इतना सिम्पुल बना दें कि बिहार के रहने वाले किसानों को फार्म भरने में विक्टिमाइज नहीं होना पड़े।

हमारे माननीय सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है जहां तक माइन्स और मिनरल्स के बारे में, मैं इसको सही मानता हूं। माइन्स, मिनरल्स और खान हमारे वित्तीय साधन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशन है। आप देखेंगे कि मिनरल्स डेवलपमेन्ट रुल्स है और माइन्स का भी एक अपना तरीका है। हमें कुछ पाबन्दी के अन्दर काम करना पड़ता है। उन पाबन्दियों के भीतर उन कानूनों के अन्दर रहकर हम सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को एक्जामिन कर रहे हैं कि माइन्स और मिनरल्स के जो रिसोर्सेज हैं उसके जरिये हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—यह इच्छा पहले क्यों नहीं हुई?

श्री वीरचन्द पटेल—मैं १९६३-६४ की बात कर रहा हूं। यह बात ठीक है कि मिनरल्स का डियूज चार करोड़ छेयासी लाख है और हमारा यह सतत् प्रयास है कि जितना संभव हो सके सरकार इस डियूज को वसूलने की कोशिश करे। इस अभियान में डेढ़ करोड़ रुपया वसूल किया गया है। जहां ढिलाई हो रही है उसमें ढिलाई हम नहीं करते हैं, बल्कि जो लॉ कोर्ट में मुकदमा पेश है और उसका फैसला कुछ और हुआ है या किसी वजह से हम उसको वसूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी संभव कोशिश हो सकती है इस बकाये को वसूल करने में, अपने कानून के दायरे के अन्तर्गत रहकर बिहार सरकार इस काम को करेगी और इसका नतीजा हुआ कि हमने एक करोड़ रुपये वसूल किये।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—अभी वसूली कानून के दायरे से किया है?

श्री वीरचन्द पटेल—जी हां।

श्री रामावतार सिंह—टाटा की जमीन्दारी को जमीन्दारी एवोलुशन कानून से बाहर कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर बिहार के अन्दर रिसोर्सेज को बढ़ाने में कोई कानूनी दिक्कत हो तो क्या आप कानूनी दिक्कतों को दूर नहीं कर सकते हैं?

श्री वीरचन्द पटेल—हम कानूनी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर सदन में कानून में संशोधन लाने की जरूरत होगी तो उसे हम करके इसको दूर करेंगे।

अब मैं सदन के उन माननीय सदस्यों की भावना का जवाब देना चाहता हूं जिसको उन्होंने ऋण वसूली के संबंध में व्यक्त किया है। मैं इस सदन के जरिये सदस्यों को और सारे बिहार के लोगों को पूरी जवाबदेही के साथ यह सूचना दे देना चाहता हूं यह सही है कि बिहार की गरीब किसानों ने जहां तक संभव हो सका है अपना कर्ज अदा किया है और दूसरे बड़े-बड़े जो आसामी है उनसे दिक्कत हो रही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—बड़े लोगों के लिये आपके दिल में जगह है ?

श्री वीरचन्द पटेल—मेरे दिल में दोनों के लिये जगह है चाहे वे गरीब हो या

अमीर हो। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बिहार सरकार इस बात को कभी भी बर्दास्त नहीं कर सकती है कि जो लोग कर्ज दे सकते हैं और जिनकी क्षमता देने की है और वे नहीं दे रहे हैं तो सरकार उनको देने के लिये अवश्य मजबूर करेगी। इस बात को मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपने को उस दिन बिल्कुल अयोग्य समझूंगा जिस दिन गरीब अपने कर्ज को देने के लिये तैयार है और दे रहे हैं और अमीर लोग जिनके पास रीसोर्सेज हैं और वे नहीं दे रहे हैं तो उनसे कर्ज वसूली में ढिलाई की जाये। किसी तरह की रियायत उनके साथ कर्ज वसूली में नहीं की जायगी।

श्री रामलखन सिंह यादव—भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से कहा गया है कि गरीबों के साथ

ज्यादती की गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी बातें अमीरों के साथ कितने हद तक की गयी है।

श्री वीरचन्द पटेल—सबसे ज्यादे गरीब लोग रांची, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूमि

में बसते हैं जो आदिवासी गृहस्थ हैं।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री अपने जवाब में हर माननीय सदस्य की

बातों का जवाब नहीं दें। अगर कोई खास बात हो तो उसका जवाब दें सकते हैं।

श्री वीरचन्द पटेल—मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार के गरीब किसान

जिनके पास कर्ज के रुपये थे और जिन्होंने दे दिया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस संकट के समय में उन लोगों ने सरकार के स्थिति को खूब अच्छी तरह से समझा है और कर्ज को वसूल कर दिया है। साथ ही साथ मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि अगर आज देश भक्ति का तकाजा है तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि जिन के पास सरकार का ऋण है वे अविलम्ब चुका दें। सरकार ऋण देना जानती है और लेना नहीं जानती यह कहना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि जिनके पास सरकार का काफी रकम बाकी है और जिनके पास देने की क्षमता है और जो दे सकते हैं और वे कर्ज को नहीं देना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ किसी तरह की रिआयत करने को तैयार नहीं है और मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे इस समय अविलम्ब अपने कर्ज को अदा कर देंगे। इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि जिनके पास ऋण की रकम बाकी है उनके कम्पेनसेशन के रुपये जो मिलेंगे उसमें सेट औफ कर दिया जायगा जिसमें लोगों

को फायदा ही फायदा है क्योंकि जहां एक रुपए की कीमत दस आना है वहां उनको पूरी कीमत मिल जाती है।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—कहा जाता है कि कम्पेनसेशन के रुपया में कर्ज को सेट ऑफ कर दिया जायगा लेकिन वह कहां हो रहा है।

श्री वीरचन्द पटेल—माननीय सदस्य को सही सूचना नहीं है। हर जगह जहां-जहां कंपेन्सेशन दिया जा रहा है वहां सेट ऑफ कर दिया जाता है। माननीय सदस्य अपनी सूचना को फिर से जांच करें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—अभी यह अपील की गयी है कि जिनके पास पैसा है वे दे दें। तो फिर गरीबों के घरों से चौखट और किवाड़ क्यों उखड़वाया जाता है?

श्री वीरचन्द पटेल—यह गरीबों की तरफ से आप अपील नहीं कर रहे हैं बल्कि गरीबों की आड़ में शिकार कर रहे हैं। अगर आप यह कहें कि सरकार के ऋण की अदायगी न हो तो मैं इसका विरोध करता हूं। प्रान्त की वित्तीय स्थिति ठीक रहे, यह हमारे प्रान्त के प्रतिष्ठा और इज्जत की बात है। ४२ करोड़ रुपया ऋण में फंसा हो और उसके अलावे १९५० से १९६२ तक ४७ करोड़ रुपया लोगों के जिम्मे बाकी पड़ा हो तो फिर हमारा काम कैसे आगे बढ़ेगा। जब आप हमारे सामने लम्बी-लम्बी लिस्ट अपने-अपने इलाकों में सड़कों को बनवाने के लिये लाते हैं, या यह कहते हैं कि शिक्षा में मत काटिये, अस्पताल खोलिये याने अपनी तरह-तरह की मांग रखते हैं तो यह ठीक है, मैं इसके लिये शिकायत नहीं करता हूं, आप अपने प्रोग्रेसिव सरकार से बड़े से बड़ा डिमान्ड मांग सकते हैं। लेकिन इस पर भी आपको गौर करना चाहिये कि वित्तीय साधन कोई हवाई आधार पर नहीं है बल्कि उसका ठोस हिसाब है, रुपया, आना और पाई का। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके सारे सुझावों को कार्यान्वित करें और उसके लिये हमको दो सौ करोड़ की जरूरत हो और हम उसके लिये आपको कोई सुझाव पेश करें तो आपको अपनी सरकार का साथ देना चाहिये। जब हमारी प्लानिंग ठीक है और हम किसी काम के लिये प्रबन्ध करना चाहते हैं जिसके लिये रिसोंसेज की जरूरत होती है और वहां आप हमको रिसोंसेज इकट्ठा करने के लिए अनुमति न दीजिये तो आप यह समझ सकते हैं कि जहां-जहां इन्तजाम का सवाल है उसके लिये रिसोंसेज कहां से आवेंगे?

श्री जनक सिंह—मैं एक इनफॉरमेशन चाहता हूं।

श्री वीरचन्द पटेल—मैं बहुत इनफॉरमेशन दे चुका हूं इसलिये माननीय सदस्य को थोड़ा मुझको भी सुन लेने की कोशिश करनी चाहिये।

अध्यक्ष—अगर आप किसी प्रकार का इन्फारमेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री वीरचन्द पटेल—दो दिनों की बहस में मैंने सिर्फ ४० मिनट लिया है। मैंने यह कोशिश की है कि ज्यादा डिटेल में न जाकर सिर्फ बुनियादी बातों को आपके सामने रखूं।

एक कम्युनिस्ट दल के सदस्य—मैंने जो पूछा........

अध्यक्ष—शांति।

श्री वीरचन्द पटेल—माननीय सदस्य के तो बहुत बातों का मैंने जवाब दिया, अब कुछ दूसरी बातों का भी जवाब देने दें। कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत की कि हम लोगों ने इरिगेशन की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि प्रथम योजना के शुरू में हमारे सूबे में इरिगेशन पोटेंशियल था करीब-करीब १० लाख एकड़। पहली योजना में २.६२ लाख एकड़ पटाने का पोटेंशियल हो गया और दूसरी योजना में ऐडिशनल ६ लाख एकड़ पोटेंशियल का हम लोगों ने सामान किया मेजर इरिगेशन में और तीसरे प्लान में हमारी योजना बहुत ऐम्बिसस है जिसमें हम करीब २८ लाख एकड़ अतिरिक्त इरिगेशन का पोटेंशियल साधन को ठीक करने का विचार रखते हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—इस पोटेंशियल का मतलब?

श्री वीरचन्द पटेल—पोटेंशियल का मतलब है कि पोटेंशियल और ऐक्चुअल में फर्क पड़ जाता है, जैसे एक ट्यूब-वेल का पोटेंशियल कैपिसीटी है २०० एकड़ पटाने का लेकिन ऐक्चुअली जो पटता है उसमें थोड़ा सा टाइम लैग होता है। इसमें जो भी कारण हो लेकिन पोटेंशियल और ऐक्चुअल में कुछ फर्क रहता ही है, जिस तरह अस्पताल में लोगों के जाने की आदत बहुत सालों के बाद लगी। पहले जब अस्पताल बना तो लोग जल्दी वहां जाते ही नहीं थे और अब है कि सीट मिलना मुश्किल हो गया है। उसी तरह इरिगेशन माइन्डेड होने में कुछ समय लगता है। हमारे मित्र ने आन्ध्र के ऊख से यहां की ऊख की तुलना की। उनको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां २१ इरिगेशन देते हैं ऊख के लिए और डेढ़ साला फसल है ऊख की। यहां ये चीजें बहुत कम हैं वहां के मुकाबिले में। हमलोगों ने इरिगेशन की सुविधा को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक करीब-करीब ४९ लाख एकड़ तक इरिगेशन पोटेंशियल को ले जायेंगे और ऐसा हम लोगों का अन्दाज है कि इसमें शायद किसान ४० लाख एकड़ जमीन पटा सकेंगे।

जहां तक माइनर इरिगेशन का सवाल है, इसमें पहले प्लान में करीब-करीब १६ लाख एकड़ जमीन के पटाने का प्रबन्ध किया गया; दूसरे प्लान में २६ लाख एकड़ का प्रबन्ध हुआ और गर्चे ५० करोड़ का रिड्यूस्ड प्लान है....

श्री चन्द्र शेखर सिंह—यह तो ऐनुअल होता है।

श्री वीरचन्द पटेल—यह ठीक है कि माइनर इरिगेशन बहुत हद तक ऐनुअल है। मान लिया जाय जैसे साउथ बिहार में मिट्टी ऐनुअल देते हैं और यह हर साल करना पड़ता है। लेकिन बहुत सी पक्की मेसोनरी का काम होता है जैसे छोटे-मोटे ट्यूब-वेल। लेकिन इस साल भी ५० करोड़ रुपए की स्कीम में १२ करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे।

हमारे कुछ मित्रों ने इस बात की आशंका प्रकट की कि छोटानागपुर की तरफ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर की जमीन जो है, जो टेरेन वहां है, भूमि की प्राकृतिक इन्भायरनमेन्ट जो वहां है, जो वातावरण है, जो स्थिति है, उसमें छोटानागपुर में बड़ी नदियां नहीं हो सकती और न हैं। इसलिए जिस तरह मुजफ्फरपुर, दरभंगा या चम्पारण में हटिया प्रोजेक्ट या टाटा की बड़ी फैक्ट्री नहीं खड़ी की जा सकती और इधर के साथी शिकायत करें कि टाटा या बोकारो या हटिया या और बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं खड़ी की जाती हैं जिस तरह छोटानागपुर में हैं उसी तरह नार्थ बिहार की जो सिंचाई की सुविधायें हैं उनका छोटानागपुर में होना उतनी ही असंगत बात है।

हमारे भाइयों की यह शिकायत कि नौर्थ बिहार में बड़ी-बड़ी स्कीम चालू हो रही हैं और छोटानागपुर में कुछ नहीं उतना ही असंगत मानते हैं जितना कि नौर्थ बिहार के लोगों की यह शिकायत कि छोटानागपुर में भी बड़े-बड़े कल-कारखाने खुल रहे हैं। छोटानागपुर में न गंगा है और न गंडक है फिर वहां पर रिभर स्कीम कैसे चालू किया जा सकता है। फिर भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया जाय तो मेजर इरीगेशनस्कीम को छोड़ कर इरिगेशन स्कीम का पहले दो पंचवर्षीय योजनाओं में १६ प्रतिशत और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४४ प्रतिशत रुपया छोटानागपुर में खर्च किया जा रहा है।

अब मैं एक-दो बातें कह कर खतम करूंगा। हमारे मोकामा के साथी ने पब्लिक डेट का सवाल उठाया और आशंका प्रकट की कि यह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी जो हम खर्च करने जा रहे हैं उसमें भी ५२ करोड़ रुपया लौंग टर्म लोन पर लिया गया है। जो भी देश विकास की तरफ उन्मत्त है वहां बढ़ते हुए बजट ही इसका परिचायक हैं कि वहां पर लोन से फाइनेंस किया जा रहा है और टैक्स लगा कर स्कीम को फाइनेन्स किया जा रहा है। हमारा देश एक डेवलपिंग देश है लेकिन जो हाइली डेवलप्ड कंट्री हैं उनके भी विकास के इतिहास को उठा कर देखा जाय तो उनको भी पब्लिक डेट लेना पड़ा और इस हद तक लेना पड़ा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पब्लिक डेट और टैक्स लगा कर विकास के काम को करना एक बहुत ही सुन्दर स्ट्रैटेजी है और इसे अमोघ अस्त्र आज मानते हैं। यह बात दूसरी है कि जब हमलोग गुलाम थे तो कांग्रेस के सालाने जलसे के वक्त पब्लिक डेट के खिलाफ प्रस्ताव पास किया करते थे लेकिन यह बात उस समय बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और मनीषी पुरुषों के ध्यान में नहीं आ सकती है कि हमारा मुल्क इस तरह से विकास के पद पर अग्रसर होगा। उनके सोचने की सीमा के बाहर के बात थी और इसलिये इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस के सलाने जलसे में पास हुआ करते थे। लेकिन अब तो वह युग ही बदल गया है।

श्री जनार्दन तिवारी—आपका रास्ता भी तो बदल गया है।

श्री वीरचन्द पटेल—यह बात ठीक है और हमारा रास्ता भी बदल गया है और

आज हम डेवलपिंग एकोनौमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसकी कल्पना हम कभी पहले नहीं कर सकते थे। इसलिये हमारा पब्लिक डेट बढ़ता है तो इसमें किसी तरह के घबड़ाने की बात नहीं है। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो उससे जनता की सेभिंग्स भी बढ़ेगी। जब बचत होगी तब पब्लिक इनभेस्टमेन्ट भी होगा और प्राइवेट इनभेस्टमेन्ट होगा। दोनों तरफ हम बढ़ेंगे।

जहां मिक्स्ड इकोनामी और डेमाक्रैटिक सिस्टम का सवाल है वहां नेशनल इनकम का बहुत बड़ा बोझ हमारे और आपके ऊपर पड़ सकता है। और हम प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेन्ट लाना चाहते हैं या इनवेस्टमेन्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हो सकते है, एक तरीका है कैश पेमेन्ट करना और दूसरा तरीका है लोन। दोनों तरीकों में भी फर्क है। कैश का जो बोझा है वह वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है और लोन का बोझ वर्तमान और भविष्य के जेनरेशन पर पड़ता है। इसकी जो आर्थिक नीति है वह मोडर्न फाइनेन्स के लिए असंभव है। लोन को अलग करें और इनवेस्टमेन्ट को अलग करें तो यह डिफिकल्ट है। आज के युग में एक आदमी अपनी खेती को बढ़ाने के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए या बिजनेस करने के लिए या फैक्टरी खोलने के लिए कर्ज लेता है जिसको प्रोडक्टिव लोन कहा जाता है। रोजमर्रे के खर्च के लिए जो लोन लिया जाता है वह वेस्टफुल लोन कहा जाता है। तृतीय योजना में हमने अगर ७२ करोड़ लोन लिया है तो वह डेवलपमेन्ट के नाम पर लोन है और इसके जरिए हम, इसकी आमदनी से हम अपने प्रान्त का आर्थिक विकास कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब ५ बज रहा है और समय कम है इसलिए मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं पर साथ ही साथ में माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि हमने प्लैन में ५० करोड़ रुपये की कटौती की है पर वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है और तकलीफ का विषय है। लेकिन इसके लिए हमने एक बहुत बड़े रिसोर्सेज की दिशा में जाने के लिए कोशिश की है पर उसकी तरफ जाने में हमको कठिनाई हुई जिसका जिक्र मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। ४१ करोड़ रुपये हम टैक्सेसन से लाना चाहते थे उसमें लोन और रेन्ट का भी कुछ हिस्सा था। यह बात ऐसी नहीं है जो किसी से छिपी हुई है बल्कि यह खुली हुई बात है। हम इस दिशा में रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं और उसमें समय लगेगा। साथ ही साथ मुझे यह मालूम नहीं कि जितने साधन की उपलब्धि हम कराना चाहते हैं उसकी उपलब्धि हो सकती है या नहीं। मगर इसके लिए अगर हम इन्तजार करें, किसी से हाथ पसारें और इसके लिए बैठे रहें तो हम प्रगति की ओर न जाकर पीछे की ओर चले जायेंगे और ऐसा करने वाला फाइनेन्स मिनिस्टर इस सूबे के लायक नहीं हो सकता है। मैं बिहार सरकार के फाइनेंस के स्पोक्समैन होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि जितने भी संभव प्रयत्न हो सकेंगे वे किए जायेंगे और वह आपके सहयोग से ही किए जायेंगे। हमारी जो मूल योजना १३७ करोड़ की है, भले ही इस साल में कुछ साधन कम की उपलब्धि हो लेकिन अगले दो सालों में हम वित्तीय साधन की उलब्धि करा सकते हैं, ऐसा ही मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार एप्रोप्रिएशन बिल, १९६३ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड २ और ३ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

'शिडिउल" इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"शिडिउल" विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना "इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"प्रस्तावना " विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

'नाम' इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

'नाम' विधेयक का अंग बना।

श्री वीरचन्द पटेल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार एप्रोप्रिएशन बिल, १९६३ स्वीकृत हो।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार एप्रोप्रिएशन बिल, १९६३ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९६३ के १० बजे दिन तक स्थगित की गई।

गोविन्द मोहन मिश्र,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
तिथि २९ मार्च, १९६३।

दैनिक-निबन्ध।

(मंगलवार, दिनांक २६ मार्च, १९६३।)

पृष्ठ।

स्वीकृत विधेयक :

बिहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९६३	१—११ तथा १६—५८

उक्त विधेयक वाद-विवाद के पश्चात् आज स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने उक्त वाद-विवाद में भाग लिया :—

नाम।	पार्टी।
(१) श्री बृज मोहन सिंह (औरंगाबाद) ..	स्वतंत्र पार्टी।
(२) श्री गुठली सिंह	कांग्रेस।
(३) श्री सभापति सिंह	प्र० सो० पा०।
(४) श्री कमल नाथ झा	कांग्रेस।
(५) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	जनसंघ।
(६) श्रीमती यशोदा देवी	कांग्रेस।
(७) श्री मुंद्रिका सिंह	प्र० सो० पा०।
(८) श्री मंगल प्रसाद यादव	कांग्रेस।
(९) श्री राजकुमार पूर्वे	साम्यवादी।
(१०) श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह	कांग्रेस।
(११) श्री ब्रजमोहन सिंह (बांका)	स्वतंत्र पार्टी।
(१२) श्रीमती कृष्णा देवी	कांग्रेस।
(१३) श्री पुनाई उरांव	झारखंड।
(१४) मौलवी समीनुद्दीन	कांग्रेस।
(१५) श्री तुलसी दास मेहता	समाजवादी।
(१६) श्रीमती लीला देवी	कांग्रेस।
(१७) श्रीमती शान्ति देवी	कांग्रेस।
(१८) श्री वीरचन्द पटेल	मंत्री, वित्त विभाग।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण ..	१२-१३
उपर्युक्त सूचना जो तिथि २२ मार्च, १९६३ को किरासन तेल के मूल्य में वृद्धि के संबंध में श्री मुनीश्वर सिंह द्वारा दी गई थी, उस पर आज श्री सहदेव महतो, उप-मंत्री द्वारा सरकारी वक्तव्य दिया गया।	१३—१६

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल० ए०) ११७—मोनो—८७४—११-१०-१९६३—ज० पंडित